



बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 3

पटना, बुधवार,

1 माघ 1947 (श0)

21 जनवरी 2026(ई0)

विषय-सूची

पृष्ठ	पृष्ठ
भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	02-43
भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---
भाग-1-ख—मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---
भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---
भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	44-45
भाग-3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---
भाग-4—बिहार अधिनियम	---
भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।	---
भाग-8—भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-9—विज्ञापन	---
भाग-9-क—चन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---
भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	46-47
पुरक	---
पुरक-क	48-49

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

18 दिसम्बर 2025

एस0ओ0 61, दिनांक 21 जनवरी 2026--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा-3 और नोटरी नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-2711/जे0, दिनांक-23.06.1994 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री राजेन्द्र कुमार, अधिवक्ता, जिनका नोटरी पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-23.06.2025से पुनः आगामी पाँच वर्षों के लिए लेख्यप्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय /व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री राजेन्द्र कुमार	अधिवक्ता-सह-नोटरी अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय, रक्सौल, पूर्वी चम्पारण	23.06.1994	बी0ए0 बी0एल0	रक्सौल अनुमंडल, (पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत)	

(सं0 सं0-ए0/नोट-30/92/8611/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-
अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

18 दिसम्बर 2025

एस0ओ0 61, दिनांक 21 जनवरी 2026 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-30/92/8611/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-
अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 18th December 2025

S.O. 61 dated the 21st January 2026--In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorize **Shri Rajendra Kumar**, and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. **2711/J** dated **23-06-1994** to practice as notary again for the next five year from **23-06-2025**.

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Rajendra Kumar	Advocate-cum-Notary Civil Court, Raxaul, East Champaran	23-06-1994	B.A B.L	Raxaul Sub-division under East Champaran Distt.-	

(File no. -A/Not-30/92/8611/J)

By order of the Governor of Bihar,
Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-
Additional Legal Remembrancer.
(Competent Authority)

15 सितम्बर 2025

एस0ओ0 62, दिनांक 21 जनवरी 2026--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री अमरेन्द्र झा, (नामांकन सं0-854/2003) अधिवक्ता, सुपौल को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती है, जो इस रूप में सुपौल जिला के लिए सुपौल जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-44/2025/5958/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-
अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

15 सितम्बर 2025

एस0ओ0 62, दिनांक 21 जनवरी 2026 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-44/2025/5958/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-
अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 15th September 2025

S.O. 62 dated the 21st January 2026--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint **Shri Amrendra Jha, (Enrolment No.-854/2003)** Advocate, Supaul a notary under the said Act who will act as such, in Supaul district for the district of Supaul for the next five years.

(File no. -A/Not-44/2025/5958/J)

By order of the Governor of Bihar,
Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-
Additional Legal Remembrancer.
(Competent Authority)

22 दिसम्बर 2025

एसओ 63, दिनांक 21 जनवरी 2026--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं०-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार **श्री संतोष कुमार पासी, (नामांकन सं०-1297/1998)**, अधिवक्ता, **सुपौल** को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती है, जो इस रूप में **सुपौल** जिला के लिए **सुपौल** जिला में कार्य करेंगे।

(सं० सं०-ए०/नोट-49/2025/8682/जे०)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-
अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)

22 दिसम्बर 2025

एसओ 63, दिनांक 21 जनवरी 2026 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं० सं०-ए०/नोट-49/2025/8682/जे०)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-
अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)

The 22nd December 2025

S.O. 63 dated the 21st January 2026--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint **Shri Santosh Kumar Pasi, (Enrolment No.- 1297/1998)**, Advocate, **Supaul** a notary under the said Act who will act as such, in **Supaul** district for the district of **Supaul** for the next five years.

(File no. -A/Not-49/2025/8682/J)

By order of the Governor of Bihar,
Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-
Additional Legal Remembrancer.
(Competent Authority)

9 अक्टूबर 2025

एसओ 64, दिनांक 21 जनवरी 2026--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री अरूण कुमार भारती, (नामांकन सं0-1347/1996), अधिवक्ता, पूर्णियाँ को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती है, जो इस रूप में पूर्णियाँ जिला के लिए पूर्णियाँ जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-124/2025/6569/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-
अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

9 अक्टूबर 2025

एसओ 64, दिनांक 21 जनवरी 2026 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-124/2025/6569/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-
अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 9th October 2025

S.O. 64 dated the 21st January 2026--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint **Shri Arun Kumar Bhartee, (Enrolment No.- 1347/1996), Advocate, Purnea** a notary under the said Act who will act as such, in **Purnea** district for the district of **Purnea** for the next five years.

(File no. -A/Not-124/2025/6569/J)

By order of the Governor of Bihar,
Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-
Additional Legal Remembrancer.
(Competent Authority)

9 अक्टूबर 2025

एसओ 65, दिनांक 21 जनवरी 2026--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री नागेश्वर पासवान, (नामांकन सं0-177/2000), अधिवक्ता, गयाजी को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती है, जो इस रूप में गयाजी जिला के लिए गयाजी जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-245/2025/6570/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-
अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

9 अक्टूबर 2025

एसओ 65, दिनांक 21 जनवरी 2026 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं० सं०-ए०/नोट-245/2025/6570/जे०)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-
अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)

The 9th October 2025

S.O. 65 dated the 21st January 2026--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Nageshwar Paswan, (Enrolment No.-177/2000), Advocate, Gayaji a notary under the said Act who will act as such, in Gayaji district for the district of Gayaji for the next five years.

(File no. -A/Not-245/2025/6570/J)

By order of the Governor of Bihar,
Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-
Additional Legal Remembrancer.
(Competent Authority)

22 दिसम्बर 2025

एसओ 66, दिनांक 21 जनवरी 2026--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं०-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री बिनोद राय, (नामांकन सं०-2295/2006), अधिवक्ता, मधेपुरा को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती है, जो इस रूप में मधेपुरा जिला के लिए मधेपुरा जिला में कार्य करेंगे।

(सं० सं०-ए०/नोट-265/2025/8681/जे०)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-
अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)

22 दिसम्बर 2025

एसओ 66, दिनांक 21 जनवरी 2026 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं० सं०-ए०/नोट-265/2025/8681/जे०)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-
अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)

The 22nd December 2025

S.O. 66 dated the 21st January 2026--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint **Shri Binod Roy, (Enrolment No.-2295/2006)**, Advocate, **Madhepura** a notary under the said Act who will act as such, in **Madhepura** district for the district of **Madhepura** for the next five years.

(File no. -A/Not-265/2025/8681/J)

By order of the Governor of Bihar,
Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-
Additional Legal Remembrancer.
(Competent Authority)

22 दिसम्बर 2025

एसओ 67, दिनांक 21 जनवरी 2026--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं०-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार **श्रीमती अनिता आचार्य, (नामांकन सं०-2320/1999)**, अधिवक्ता, **मधेपुरा** को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती है, जो इस रूप में **मधेपुरा** जिला के लिए **मधेपुरा** जिला में कार्य करेंगे।

(सं० सं०-ए०/नोट-266/2025/8699/जे०)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-
अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)

22 दिसम्बर 2025

एसओ 67, दिनांक 21 जनवरी 2026 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं० सं०-ए०/नोट-266/2025/8699/जे०)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-
अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)

The 22nd December 2025

S.O. 67 dated the 21st January 2026--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint **Smt. Anita Acharya, (Enrolment No.- 2320/1999)**, Advocate, **Madhepura** a notary under the said Act who will act as such, in **Madhepura** district for the district of **Madhepura** for the next five years.

(File no. -A/Not-266/2025/8699/J)

By order of the Governor of Bihar,
Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-
Additional Legal Remembrancer.
(Competent Authority)

22 दिसम्बर 2025

एसओ 68, दिनांक 21 जनवरी 2026--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं०-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री जीतेन्द्र कुमार, (नामांकन सं०-1452/2007), अधिवक्ता, मधेपुरा को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती है, जो इस रूप में मधेपुरा जिला के लिए मधेपुरा जिला में कार्य करेंगे।

(सं० सं०-ए०/नोट-267/2025/8680/जे०)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-
अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

22 दिसम्बर 2025

एसओ 68, दिनांक 21 जनवरी 2026 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं० सं०-ए०/नोट-267/2025/8680/जे०)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-
अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 22nd December 2025

S.O. 68 dated the 21st January 2026--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Jitendra Kumar, (Enrolment No.- 1452/2007), Advocate, Madhepura a notary under the said Act who will act as such, in Madhepura district for the district of Madhepura for the next five years.

(File no. -A/Not-267/2025/8680/J)

By order of the Governor of Bihar,
Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-
Additional Legal Remembrancer.

(Competent Authority)

22 दिसम्बर 2025

एसओ 69, दिनांक 21 जनवरी 2026--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं०-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री गणेश प्रसाद, (नामांकन सं०-1674/1994), अधिवक्ता, पूर्णियाँ को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती है, जो इस रूप में पूर्णियाँ जिला के लिए पूर्णियाँ जिला में कार्य करेंगे।

(सं० सं०-ए०/नोट-414/2025/8683/जे०)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-
अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

22 दिसम्बर 2025

एसओ 69, दिनांक 21 जनवरी 2026 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं० सं०-ए०/नोट-414/2025/8683/जे०)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 22nd December 2025

S.O. 69 dated the 21st January 2026--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint **Shri Ganesh Prasad, (Enrolment No.- 1674/1994), Advocate, Purnea** a notary under the said Act who will act as such, in **Purnea** district for the district of **Purnea** for the next five years.

(File no. -A/Not-414/2025/8683/J)

By order of the Governor of Bihar,
Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-
Additional Legal Remembrancer.

(Competent Authority)

19 नवम्बर 2025

एसओ 70, दिनांक 21 जनवरी 2026--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं०-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार **श्री शिव शेखर, (नामांकन सं०-506/2013), अधिवक्ता, गयाजी** को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती है, जो इस रूप में **गयाजी** जिला के लिए **गयाजी** जिला में कार्य करेंगे।

(सं० सं०-ए०/नोट-441/2025/7521/जे०)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

19 नवम्बर 2025

एसओ 70 दिनांक 21 जनवरी 2026 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं० सं०-ए०/नोट-441/2025/7521/जे०)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 19th November 2025

S.O. 70 dated the 21st January 2026--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint **Shri Shiv Shekhar, (Enrolment No.-506/2013)**, Advocate, **Gayaji** a notary under the said Act who will act as such, in **Gayaji** district for the district of **Gayaji** for the next five years.

(File no. -A/Not-441/2025/7521/J)

By order of the Governor of Bihar,
Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-
Additional Legal Remembrancer.
(Competent Authority)

18 नवम्बर 2025

एसओ 71, दिनांक 21 जनवरी 2026--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं०-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री **सुरेश कुमार, (नामांकन सं०-3838/1999)**, अधिवक्ता, **जहानाबाद** को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती है, जो इस रूप में **जहानाबाद** जिला के लिए **जहानाबाद** जिला में कार्य करेंगे।

(सं० सं०-ए०/नोट-487/2025/7452/जे०)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-
अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)

18 नवम्बर 2025

एसओ 71, दिनांक 21 जनवरी 2026 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं० सं०-ए०/नोट-487/2025/7452/जे०)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-
अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)

The 18th November 2025

S.O. 71 dated the 21st January 2026--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint **Shri Suresh Kumar, (Enrolment No.- 3838/1999)**, Advocate, **Jehanabad** a notary under the said Act who will act as such, in **Jehanabad** district for the district of **Jehanabad** for the next five years.

(File no. -A/Not-487/2025/7452/J)

By order of the Governor of Bihar,
Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-
Additional Legal Remembrancer.
(Competent Authority)

22 दिसम्बर 2025

एसओ 72, दिनांक 21 जनवरी 2026--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं०-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव, (नामांकन सं०-BR/2104/1996) अधिवक्ता, बक्सर को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती है, जो इस रूप में बक्सर जिला के लिए बक्सर जिला में कार्य करेंगे।

(सं० सं०-ए०/नोट-519/2025/8685/जे०)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-
अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

22 दिसम्बर 2025

एसओ 72, दिनांक 21 जनवरी 2026 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं० सं०-ए०/नोट-519/2025/8685/जे०)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-
अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 22nd December 2025

S.O. 72 dated the 21st January 2026--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint **Shri Manoj Kumar Srivastava (Enrolment No.- BR/2104/1996)**, Advocate, **Buxar** a notary under the said Act who will act as such, in **Buxar** district for the district of **Buxar** for the next five years.

(File no. -A/Not-519/ 2025/8685/J)

By order of the Governor of Bihar,
Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-
Additional Legal Remembrancer.
(Competent Authority)

सहकारिता विभाग

अधिसूचनाएं

31 दिसम्बर 2025

सं० 01/रा०स्था०(स्था०/पद०)-43/2025 सह०-6501--विभागीय अधिसूचना सं०-6412 दिनांक-22.12.2025 के क्रमांक-1 में अंकित पदाधिकारी के नाम में टंकण भूल को सुधार करते हुए 'श्री श्यामानन्द प्रसाद' के स्थान पर शुद्ध रूप में 'श्री श्यामनन्दन प्रसाद' पढ़ा एवं समझा जाये।

आदेश से,
अभय कुमार सिंह, अपर सचिव।

31 दिसम्बर 2025

सं० 01/सह.राज.स्था.(पद.सृ.)-58/2016-6556—सहकारिता विभाग द्वारा संचालित किये जा रहे विभिन्न दायित्वों के निर्वहन हेतु बिहार सहकारिता प्रशासनिक सेवा संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2011 के नियम-3(3)(ii) के तहत सहकारिता विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-1239 दिनांक-13.04.2018 द्वारा बिहार सहकारिता प्रशासनिक सेवा के पदों का पुनर्गठन राज्य मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-27.03.2018 में मद संख्या-07 द्वारा स्वीकृति से किया गया है, जिसके फलस्वरूप 01 संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ एवं 47 सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ के पदों का सृजन किया गया है।

उक्त के आलोक में सृजित पदों के साथ निम्नांकित कार्यालयों के गठन हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र.	पदनाम	संख्या
1	2	3
1	संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर	01
2	सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, (1) अररिया, (2) फारबिसगंज, (3) अरवल, (4) दाउदनगर, (5) बखरी, (6) बलिया, (7) मंझौर, (8) तेघड़ा, (9) कहलगाँव, (10) जगदीशपुर, (11) पीरो, (12) बिरौल, (13) नीमचक बथानी, (14) टेकारी, (15) हथुआ, (16) जमुई, (17) भभुआ, (18) मोहनिया, (19) बारसोई, (20) मनिहारी, (21) घोघड़ी (गोगरी), (22) लखीसराय, (23) जयनगर, (24) फुलपरास, (25) हवेली खडगपुर, (26) तारापुर, (27) राजगीर, (28) रजौली, (29) पालीगंज, (30) बनमनखी, (31) धमदाहा, (32) वायसी, (33) डेहरी, (34) सिमरीबख्तियापुर, (35) मढ़ौरा, (36) शिवहर, (37) बेलसण्ड, (38) महाराजगंज, (39) सुपौल, (40) निर्मली, (41) महनार, (42) महुआ, (43) नरकटियागंज, (44) अरेराज, (45) रक्सौल, (46) पकड़ीदयाल, (47) चकिया,	47
कुल—		48

2. उक्त सभी पद कार्यालय प्रधान के पद हैं तथा इनके अधीनस्थ अराजपत्रित कर्मियों के पदों के सृजन/निर्धारण के क्रम में राज्य मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति से विभागीय संकल्प संख्या-8824 दिनांक-23.11.2023 द्वारा सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, संकल्प संख्या-4424 दिनांक-22.05.2025 द्वारा लिपिक संवर्ग, संकल्प संख्या-2656 दिनांक-21.03.2025 द्वारा क्षेत्रीय आशुलिपिक संवर्ग एवं संकल्प संख्या-2701 दिनांक-21.03.2025 द्वारा कार्यालय परिचारी संवर्ग के पदों का सृजन/पुनर्निर्धारण किया गया है।

3. इन कार्यालयों को संचालित किए जाने हेतु इनके कार्यालय प्रधान यथा कार्यालय संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर के कार्यालय प्रधान संयुक्त निबंधक, स.स. एवं कार्यालय सहायक निबंधक, स.स. के कार्यालय प्रधान सहायक निबंधक, स.स. को निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है।

4. स्वीकृतादेश संख्या-4393 दिनांक-26.08.2025 द्वारा कार्यालयों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा कार्यालय प्रधान एवं अधीनस्थ कर्मियों के वेतनादि तथा अन्य कार्यालय व्यय संबंधी राशि की निकासी मांग संख्या-09, मुख्य शीर्ष-2425-सहकारिता, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-001-निदेशन तथा प्रशासन, उप शीर्ष-0002-अधीक्षण, विपत्र कोड-09-2425000010002 के तहत उपबंधित राशि से की जायेगी, की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

आदेश से,
धर्मेन्द्र सिंह, सचिव।

31 दिसम्बर 2025

सं० 01/रा०स्था०(स्था०/पद०)-43/2025 सह०-6502—बिहार सहकारिता प्रशासनिक सेवा संवर्ग के स्तम्भ-02 में अंकित पदाधिकारी को स्तम्भ-05 में अंकित पद का अतिरिक्त प्रभार तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक दिया जाता है :-

क्र० सं०	पदाधिकारियों का नाम/सिविल लिस्ट क्र०	पदनाम	वर्तमान पदस्थापन पद/स्थान	अतिरिक्त प्रभार
1	2	3	4	5
1.	श्री नरोत्तम पाण्डेय	सहायक निबंधक, स०स०	सहायक निबंधक, स०स०, पटना।	सहायक निबंधक, स०स०, बाढ़।
2.	श्री सतीश कुमार मिश्र 107/23	सहायक निबंधक, स०स०	सहायक निबंधक, स०स०, नवगछिया।	जिला सहकारिता पदाधिकारी, भागलपुर एवं सहायक निबंधक, स०स०, भागलपुर।

2. संबंधित पदाधिकारी अतिरिक्त प्रभार वाले पद पर अविलम्ब योगदान/प्रभार ग्रहण करेंगे एवं इसकी सूचना सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को भेजना सुनिश्चित करेंगे।
3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश से,
अभय कुमार सिंह, अपर सचिव।

6 मार्च 2025

सं० 01/रा.स्था.एम.ए.सी.पी.-111/2024 सह.-1099—बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त "रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना, 2010" के प्रावधानों के तहत सहकारिता प्रसार पदाधिकारी संवर्ग से बिहार सहकारिता प्रशासनिक सेवा संवर्ग के मूलकोटि के पद सहायक निबंधक, सं०स० के पद पर उच्चतर प्रभार प्राप्त निम्न पदाधिकारियों को स्तम्भ-04 में अंकित तिथि से लेवल-11 में तृतीय रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम/सिविल लिस्ट क्रमांक	वर्तमान पदस्थापन	तृतीय रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन अनुमान्यता की तिथि
1	2	3	4
1	श्री संजीव कुमार सिंह	सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ (अ.र.), बिहार, पटना।	15.12.2023
2	श्री राजकिशोर सिंह	तत्कालीन सहायक निबंधक, सं०स०, कार्यालय, जिला सहकारिता पदाधिकारी, सिवान सम्प्रति सेवानिवृत्त।	06.07.2024

2. वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप पदाधिकारियों का वेतन निर्धारण रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना नियमावली, 2010 के नियम परिशिष्ट-I के प्रावधानों एवं समय-समय पर इस सम्बंध में वित्त विभाग द्वारा निर्गत अनुदेशों के अनुरूप किया जायेगा।

3. गैर संवर्गीय/बाह्य सेवा शर्तों/सहकारी संस्थाओं में पदस्थापन अवधि का एम०ए०सी०पी० लाभ स्वीकृति के फलस्वरूप बकाया राशि का भुगतान सम्बंधित संस्थाओं द्वारा किया जायेगा।

4. रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना का लाभ स्वीकृति में किसी कारणों से भविष्य में संशोधन की आवश्यकता होने पर सम्बंधित पदाधिकारी को स्वीकृत लाभ से सम्बंधित अधिसूचना को रद्द/संशोधित किया जा सकेगा तथा उन्हें भुगतान की गयी अधिक राशि की वसूली/प्रतिपूर्ति की जा सकेगी।

5. इसमें माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
स्मृति कुमारी, उप सचिव।

2 मई 2025

सं० 01/रा.स्था.(स्था०/पद०)-01/2025 सह.-2126—बिहार सहकारिता प्रशासनिक सेवा संवर्ग के स्तम्भ-02 में अंकित निम्नांकित पदाधिकारियों को प्रशासनिक दृष्टिकोण से कार्यहित में स्तम्भ-05 में अंकित पद का अतिरिक्त प्रभार तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक दिया जाता है :-

क्रम सं.	पदाधिकारियों का नाम/गृह जिला	पदनाम	वर्तमान पदस्थापन पद/स्थान	अतिरिक्त प्रभार
1	2	3	4	5
1	श्री प्रशान्त कुमार, बेगूसराय	सहायक निबंधक, सं०स०	जिला सहकारिता पदाधिकारी, गया (अतिरिक्त प्रभार-सहायक निबंधक, सं०स०, गया/सहायक निबंधक, सं०स०, शेरघाटी)	मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, मगध सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी संघ लि०, गया
2	श्री अजीत कुमार, भागलपुर	सहायक निबंधक, सं०स०	जिला सहकारिता पदाधिकारी, पूर्णियाँ (अतिरिक्त प्रभार-महाप्रबंधक, आई०सी०डी०पी० पूर्णियाँ)	सहायक निबंधक, सं०स०, पूर्णियाँ
3	श्री प्रेम कुमार शर्मा, पटना	सहायक निबंधक, सं०स०	सहायक निबंधक, सं०स०, दरभंगा (अतिरिक्त प्रभार-जिला सहकारिता पदाधिकारी, दरभंगा/महाप्रबंधक, आई०सी०डी०पी०, दरभंगा)	मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, मिथिला सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी संघ लि०, दरभंगा

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
स्मृति कुमारी, उप सचिव।

5 दिसम्बर 2025

सं० 01/रा.स्था.(स्था०/पद०)-79/2024 सह-4336—बिहार सहकारिता प्रशासनिक सेवा संवर्ग के स्तम्भ-02 में अंकित निम्नांकित पदाधिकारियों को स्तम्भ-05 में अंकित पद का अतिरिक्त प्रभार तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक दिया जाता है :-

क्रमसं.	पदाधिकारियों का नाम/सिविल लिस्ट क्र./मेधाक्रमांक/गृह जिला	पदनाम/उच्चतर प्रभार	वर्तमान पदस्थापन पद/स्थान	अतिरिक्त प्रभार
1	2	3	4	5
1.	श्री सुभाष कुमार, 50/18 शिवहर।	संयुक्त निबंधक, स०स०	सदस्य, स्वावलंबी सहकारी समिति अधिकरण, पटना।	अपर निबंधक, सहयोग समितियाँ-सह-अपर परामर्शी (योजना), बिहार, पटना।
2.	श्री सफदर रहमान, पटना।	सहायक निबंधक, स०स०	सहायक निबंधक, स०स० (बुनकर), बिहार, पटना। (अतिरिक्त प्रभार-सहायक निबंधक, स०स० (हस्तकरघा), बिहार, पटना।)	सहायक निबंधक, स०स० (खादी), बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट को-ऑपरेटिव टोबैको ग्रोवर्स फेडरेशन लि०, पटना/प्रबंध निदेशक, धु.र.द., पटना

2. उच्चतर पद का प्रभार प्राप्त होने की दशा में पदाधिकारी अपने ही वेतनमान में उच्चतर पद के प्रभारी समझे जायेंगे।

3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
स्मृति कुमारी, विशेष कार्य पदाधिकारी।

6 मार्च 2025

सं० 01/रा.स्था.एम.ए.सी.पी.-111/2024 सह-1135—श्री यतीन्द्र किशोर कुशवाहा, तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी, शेखपुरा सम्प्रति सेवानिवृत्त को विभागीय अधिसूचना संख्या-263, दिनांक-20.01.2014 द्वारा निन्दन के साथ तीन वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोक एवं अधिसूचना संख्या-595, दिनांक-05.02.2014 द्वारा निन्दन के साथ दो वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोक के संसूचित दण्ड का कुप्रभाव दिनांक-30.06.2019 तक रहने एवं उनके दिनांक-31.05.2019 को सेवानिवृत्त हो जाने के कारण विभागीय अधिसूचना संख्या-2949, दिनांक-17.10.2023 द्वारा श्री कुशवाहा को दिनांक-01.07.2017 के प्रभाव से स्वीकृत द्वितीय एम.ए.सी.पी के लाभ को निरस्त किया जाता है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
स्मृति कुमारी, उप सचिव।

30 जून 2025

सं० 01/रा.स्था.(स्था०/पद०)-43/2025 सह-3166—बिहार सहकारिता प्रशासनिक सेवा संवर्ग के स्तम्भ-02 में अंकित निम्नांकित पदाधिकारियों को स्तम्भ-4 में अंकित पद/स्थान से स्थानान्तरित करते हुए स्तम्भ-05 में अंकित पद पर पदस्थापित करते हुए स्तम्भ-06 में अंकित पद का अतिरिक्त प्रभार तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक दिया जाता है:-

क्र. सं.	पदाधिकारियों का नाम/सिविल लिस्टक्र./गृह जिला	पदनाम	वर्तमान पदस्थापन पद/स्थान	नवपदस्थापन पद/स्थान	अतिरिक्त प्रभार
1	2	3	4	5	6
1.	श्री सैयद मसरुक आलम, 03/25, प. चम्पारण।	संयुक्त निबंधक, स०स०	संयुक्त निबंधक, स०स०, सारण प्रमंडल, छपरा।	—	संयुक्त निबंधक, स०स०, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर।

2.	श्री राम नरेश पाण्डेय, 07/25 सहरसा।	संयुक्त निबंधक, स0स0	संयुक्त निबंधक, स0स0, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर।	अपर निबंधक, स.स. (प्रशासन), बिहार, पटना। (अपने वेतनमान में)	
3.	श्री विजय कुमार सिंह, 08/25 रोहतास।	संयुक्त निबंधक, स0स0	संयुक्त निबंधक, स0स0, मगध प्रमंडल, गयाजी।	संयुक्त निबंधक, स0स0, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा।	
4.	श्री विकास कुमार बरियार, 09/25, औरंगाबाद।	संयुक्त निबंधक, स0स0	संयुक्त निबंधक, स0स0, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा।	अपर निबंधक, स.स. (न्यायिक), बिहार, पटना। (अपने वेतनमान में)	
5.	श्री मो0 निसार अहमद, 11/25, मधुबनी।	संयुक्त निबंधक, स0स0	संयुक्त निबंधक, स0स0 (साख), बिहार, पटना।	संयुक्त निबंधक, स0स0, कोशी प्रमंडल, सहरसा।	
6.	श्री विद्या भूषण मिश्र, 20/25 कैमूर।	उप निबंधक, स.स.	प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0, कटिहार। (अतिरिक्त प्रभार— प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0, पूर्णियाँ।)	संयुक्त निबंधक, स0स0, मगध प्रमंडल, गयाजी। (अपने वेतनमान में)	
7.	श्री निकेश कुमार, 21/25,झारखण्ड।	संयुक्त निबंधक, स0स0	प्रबंध निदेशक, मगध केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0, गयाजी।	संयुक्त निबंधक (पणन), स0स0, बिहार, पटना।	
8.	श्री समरेश कुमार, 22/25, जहानाबाद।	संयुक्त निबंधक, स0स0	जिला सहकारिता पदाधिकारी, पटना	संयुक्त निबंधक (साख), स0स0, बिहार, पटना।	
9.	श्री संजीव कुमार सिंह, 28/25, बांका।	उप निबंधक, स0स0	प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0, भागलपुर।	जिला सहकारिता पदाधिकारी—सह— सहायक निबंधक, स.स., शिवहर।	
10.	श्री बाबू राजा, 31/25, सिवान।	उप निबंधक, स0स0	प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0, समस्तीपुर।	प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0, पूर्णियाँ।	
11.	श्री अरुण कुमार, 32/25, जमुई।	उप निबंधक, स0स0	प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0, नवादा।	जिला सहकारिता पदाधिकारी, दरभंगा।	
12.	श्री मिथिलेश कुमार, 38/25, वैशाली।	सहायक निबंधक, स0स0	प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0, खगड़िया।	जिला सहकारिता पदाधिकारी, गयाजी।	प्रबंध निदेशक, मगध केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0, गयाजी।
13.	श्री अनिल कुमार गुप्ता, 39/25, सीवान।	उप निबंधक, स0स0	जिला सहकारिता पदाधिकारी—सह—सहायक निबंधक, स0स0, सुपौल।	जिला सहकारिता पदाधिकारी, समस्तीपुर।	प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0, समस्तीपुर।
14.	श्री रंजीत कुमार, 42/25, बेगूसराय।	सहायक निबंधक, स0स0	जिला सहकारिता पदाधिकारी—सह—सहायक निबंधक, स0स0, शिवहर।	प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0, कटिहार।	

15.	श्री सफदर रहमान, 46/25, पटना।	सहायक निबंधक, स0स0	सहायक निबंधक, स0स0 (बुनकर), बिहार, पटना। (अतिरिक्त प्रभार—सहायक निबंधक, स0स0 (हस्तकरघा/खादी), बिहार, पटना/ प्रबंध निदेशक, बिहार टोबैको ग्रोवर्स/धु0र0द0।	सहायक निबंधक, स0स0 (खादी), बिहार, पटना।	सहायक निबंधक, स0स0 (बुनकर/ हस्तकरघा), बिहार, पटना/ प्रबंध निदेशक, बिहार टोबैको ग्रोवर्स/धु0र0द0
16.	श्री प्रशान्त कुमार, 50/25, बेगूसराय।	सहायक निबंधक, स0स0	जिला सहकारिता पदाधिकारी, गयाजी (अतिरिक्त प्रभार—सहायक निबंधक, स0स0, गयाजी/शेरघाटी)	जिला सहकारिता पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर	
17.	श्रीमती श्रुति चंद्र बोस, 51/25, पटना।	सहायक निबंधक, स0स0	प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0, मुजफ्फरपुर।	सहायक निबंधक, स0स0, हिलसा	
18.	श्री संतोष कुमार, 53/25, पटना।	सहायक निबंधक, स0स0	सहायक निबंधक, स0स0, नवादा (अतिरिक्त प्रभार—जिला सहकारिता पदाधिकारी, नवादा)	प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0, मुजफ्फरपुर।	
19.	श्री अमित कुमार, 56/25, पटना।	सहायक निबंधक, स0स0	जिला सहकारिता पदाधिकारी—सह—सहायक निबंधक, स0स0, अरवल।	जिला सहकारिता पदाधिकारी, गोपालगंज।	सहायक निबंधक, स.स., गोपालगंज।
20.	श्री आकिब जावेद, 60/25, पटना।	सहायक निबंधक, स0स0	जिला सहकारिता पदाधिकारी—सह—सहायक निबंधक, स0स0, जमुई।	प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0, मोतिहारी।	
21.	श्री हरिशंकर कुमार, 61/25, खगड़िया।	सहायक निबंधक, स0स0	प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0, मोतिहारी।	जिला सहकारिता पदाधिकारी, सीतामढ़ी।	सहायक निबंधक, स.स., सीतामढ़ी।
22.	श्री दीपक कुमार, 62/25, कैमूर।	सहायक निबंधक, स0स0	सहायक निबंधक, स0स0, बिहार, पटना	जिला सहकारिता पदाधिकारी, पटना।	
23.	श्री बिजेन्द्र कुमार सिंह, 78/25, पटना।	सहायक निबंधक, स0स0	प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0, औरंगाबाद।	सहायक निबंधक, स.स., कार्यालय जिला सहकारिता पदाधिकारी, जहानाबाद।	
24.	श्री अमरनाथ कपूर, 84/25, पटना।	सहायक निबंधक, स0स0	सहायक निबंधक, स.स., त्रिवेणीगंज (अतिरिक्त प्रभार—सहायक निबंधक, स.स., वीरपुर)।	सहायक निबंधक, स.स., किशनगंज।	जिला सहकारिता पदाधिकारी, किशनगंज।
25.	श्री हरेन्द्र प्रसाद, 85/25, कैमूर।	सहायक निबंधक, स0स0	सहायक निबंधक, स0स0, किशनगंज (अतिरिक्त प्रभार—जिला सहकारिता पदाधिकारी, किशनगंज)।	जिला सहकारिता पदाधिकारी—सह— सहायक निबंधक, स.स., जमुई।	
26.	श्री गेन्धारी पासवान, 90/25, नालंदा।	सहायक निबंधक, स0स0	सहायक निबंधक, स0स0, गोपालगंज (अतिरिक्त प्रभार—जिला सहकारिता पदाधिकारी, गोपालगंज)।	सहायक निबंधक, स0स0, गयाजी।	सहायक निबंधक, स0स0, शेरघाटी।

27.	श्री संतोष कुमार, 89 / 25, जहानाबाद ।	सहायक निबंधक, स0स0	सहायक निबंधक, स0स0, बांका ।	जिला सहकारिता पदाधिकारी—सह— सहायक निबंधक, स.स., सुपौल ।	
28.	श्री राम कुमार, 93 / 25, औरंगाबाद ।	सहायक निबंधक, स0स0	प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0, सीतामढ़ी ।	सहायक निबंधक, स0स0, सासाराम ।	
29.	श्री राम नरेश कुरील, 95 / 25, पटना ।	सहायक निबंधक, स0स0	प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0, सुपौल ।	सहायक निबंधक, स0स0, त्रिवेणीगंज ।	सहायक निबंधक, स0स0, वीरपुर ।
30.	श्री अरविन्द उद्धव, 102 / 25, पटना ।	सहायक निबंधक, स0स0	सहायक निबंधक, स0स0, सीतामढ़ी (अतिरिक्त प्रभार—जिला सहकारिता पदाधिकारी, सीतामढ़ी) ।	सहायक निबंधक, स0स0, बाढ़	
31.	श्री रामजी राय, 112 / 25, प0 चम्पारण (बेतिया) ।	सहायक निबंधक, स0स0	जिला सहकारिता पदाधिकारी—सह—सहायक निबंधक, स0स0, अररिया ।	सहायक निबंधक, स0स0, मुजफ्फरपुर पश्चिम	सहायक निबंधक, स0स0, मुजफ्फरपुर पूर्व
32.	श्री बिरेन्द्र कुमार, 121 / 25, पटना ।	सहायक निबंधक, स0स0	पदस्थापन की प्रतीक्षा में ।	सहायक निबंधक (अ.र.), स0स0, बिहार, पटना ।	
33.	श्री राजीव कुमार यादव, 122 / 25, मधुबनी ।	सहायक निबंधक, स0स0	सहायक निबंधक, स0स0, मुजफ्फरपुर पूर्व (अतिरिक्त प्रभार—सहायक निबंधक, स0स0, मुजफ्फरपुर पश्चिम)	प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., खगड़िया ।	
34.	श्री मणि भूषण कुमार, 123 / 25, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) ।	सहायक निबंधक, स0स0	प्रशासी पदाधिकारी, कार्यालय, संयुक्त निबंधक, स0स0, भागलपुर प्रमण्डल, भागलपुर । (अतिरिक्त प्रभार—महाप्रबंधक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0, भागलपुर) ।	प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., सीतामढ़ी ।	
35.	श्री पप्पु कुमार, 124 / 25, बेगूसराय ।	सहायक निबंधक, स0स0	सहायक निबंधक, स0स0, कार्यालय, जिला सहकारिता पदाधिकारी, भोजपुर, आरा । (अतिरिक्त प्रभार—महाप्रबंधक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0, आरा ।)	प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., भागलपुर ।	
36.	श्री सौरभ किशोर, 125 / 25, नवादा ।	सहायक निबंधक, स0स0	सहायक निबंधक, स0स0, कार्यालय, जिला सहकारिता पदाधिकारी, गयाजी । (अतिरिक्त प्रभार—महाप्रबंधक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0, गयाजी ।)	प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0, औरंगाबाद ।	

37.	श्री मधुसूदन आनन्द, 126/25, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)।	सहायक निबंधक, स0स0	सहायक निबंधक, स0स0, कार्यालय, जिला सहकारिता पदाधिकारी, सुपौल (अतिरिक्त प्रभार—महाप्रबंधक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0, सुपौल।)	जिला सहकारिता पदाधिकारी—सह—सहायक निबंधक, स.स., अररिया।	
38.	सुश्री मीनू कुमारी, 127/25, दरभंगा।	सहायक निबंधक, स0स0	प्रशासी पदाधिकारी, कार्यालय, संयुक्त निबंधक, स0स0, कोशी प्रमंडल, सहरसा। (अतिरिक्त प्रभार—महाप्रबंधक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0, खगड़िया।)	सहायक निबंधक, स0स0 कार्यालय, जिला सहकारिता पदाधिकारी, मुंगेर।	
39.	सुश्री आरुति कुमारी, 128/25, गयाजी।	सहायक निबंधक, स0स0	सहायक निबंधक, स0स0, कार्यालय, जिला सहकारिता पदाधिकारी, रोहतास (अतिरिक्त प्रभार—सहायक निबंधक, स.स., सासाराम)।	प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0, नवादा।	
40.	सुश्री आकांक्षा, 129/25, भोजपुर।	सहायक निबंधक, स0स0	सहायक निबंधक, स0स0 कार्यालय जिलासहकारितापदाधिकारी, बक्सर।	जिलासहकारितापदाधिकारी—सह—सहायक निबंधक, स.स., अरवल।	
41.	श्री आलोक कुमार, 130/25, पटना।	सहायक निबंधक, स0स0	सहायक निबंधक, स0स0 (अ0र0), बिहार, पटना।	सहायक निबंधक, स.स., नवादा।	जिला सहकारिता पदाधिकारी, नवादा।
42.	श्री शिवम प्रतीक, 132/25, पटना।	सहायक निबंधक, स0स0	सहायक निबंधक, स0स0, कार्यालय, जिला सहकारिता पदाधिकारी, किशनगंज। (अतिरिक्त प्रभार—महाप्रबंधक जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0, पूर्णियाँ।)	सहायक निबंधक (अ.र.), स0स0, बिहार, पटना।	
43.	श्री दीपक कुमार, 133/25, गयाजी।	सहायक निबंधक, स0स0	सहायक निबंधक, स0स0, कार्यालय, जिला सहकारिता पदाधिकारी, नवादा। (अतिरिक्त प्रभार—महाप्रबंधक जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0, नवादा।)	प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0, सुपौल।	

2. उपर्युक्त नव पदस्थापित सूची के क्रमांक-23, 28, 30 एवं 31 में अंकित पदाधिकारियों का स्थानान्तरण उनके अभ्यावेदन के आधार पर किया गया है। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के संकल्प संख्या-434 दिनांक-01.03.2007 में निहित प्रावधान के आलोक में अभ्यावेदन के आधार पर पदाधिकारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन की स्थिति में उन्हें स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं पारगमन अवधि अनुमान्य नहीं होगी।

3. उच्चतर पद पर पदस्थापित होने की दशा में पदाधिकारी अपने ही वेतनमान में उच्चतर पद के प्रभारी समझे जायेंगे।

4. गैर संवर्गीय पदों पर पदस्थापित पदाधिकारियों का पदस्थापन बाह्य सेवा शर्तों के अधीन है।

5. सभी स्थानांतरित पदाधिकारी अपने नवपदस्थापन/अतिरिक्त प्रभार वाले पद पर अविलंब योगदान/प्रभार ग्रहण करेंगे एवं इसकी सूचना सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

6. इसमें संक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
स्मृति कुमारी, उप सचिव।

25 फरवरी 2025

सं0 01/रा. स्था. (नियुक्ति)-161/2024 सह.-870—बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 69वीं सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बिहार सहकारिता प्रशासनिक सेवा संवर्ग, वर्ग-2 (समूह-‘ख’) में नियुक्ति हेतु अनुशंसित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को अधोलिखित शर्तों के अधीन पे मैट्रिक्स लेवल-9 (रू0 53100-167800) में (राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अनुमान्य भत्तों के साथ) बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान (बिपार्ड), गया में कम्बाईड फाउंडेशन/इंडक्शन कोर्स के प्रशिक्षण हेतु योगदान की तिथि दिनांक-31.12.2024 (अपराहन) के प्रभाव से औपबंधिक रूप से परीक्ष्यमान सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ/समकक्ष के पद पर नियुक्त किया जाता है :-

क्रम सं०	अभ्यर्थीकानाम	रौलन०	जन्मतिथि	गृहजिला	मेधा क्रमांक	आयोग द्वारा आवंटित आरक्षण रोस्टर
1	2	3	4	5	6	7
1.	सुश्री रितु कुमारी	117246	01.01.1997	पटना	31	01
2.	श्री सिद्धार्थ सिन्हा	156040	03.10.1996	सीतामढ़ी	34	01
3.	सुश्री अनुप्रिया	111367	12.12.1999	सारण	45	07
4.	श्री सौरभ कुमार	301189	21.12.1996	कैमूर	211	02

- चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त होने की प्रत्याशा में अगले छः (06) माह के लिए उपर्युक्त नियुक्ति औपबंधिक रूप से की जाती है।
- अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित शैक्षणिक प्रमाण-पत्र एवं अन्य प्रमाण-पत्रों के संबंधित बोर्ड/संस्था से सत्यापन तथा चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन में यदि कोई प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होता है, तब इन नवनियुक्त पदाधिकारियों की सेवा तात्कालिक प्रभाव से रद्द कर दी जायेगी एवं उनके विरुद्ध आवश्यक विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।
- सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों की परीक्ष्यमान अवधि 01 वर्षों की होगी तथा उनकी आपसी वरीयता बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित संयुक्त मेधा क्रमांक के अनुसार होगी।
- प्रत्येक अभ्यर्थी को उनके अभिप्रमाणित फोटो युक्त नियुक्ति संबंधी निर्गत अधिसूचना की प्रति उपलब्ध कराया जायेगा।
- सभी अभ्यर्थियों को यह निदेश दिया जाता है बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान (बिपार्ड), गया में कम्बाईड फाउंडेशन/इंडक्शन कोर्स के प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरांत वे अपना योगदान निश्चित रूप से सहकारिता विभाग, बिहार, पटना में समर्पित करेंगे। निर्धारित अवधि में प्रभार ग्रहण नहीं करने अथवा प्रभार ग्रहण की अवधि के विस्तार हेतु आवेदन नहीं करने की स्थिति में उनकी नियुक्ति रद्द करने पर नियमानुसार विचार किया जायेगा।
- सभी अभ्यर्थी सामान्य प्रशासन विभाग (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) द्वारा निर्गत संकल्प सं0-1991, दिनांक-18.01.1976 के अनुपालन में दहेज न लेने/न देने संबंधी घोषणा पत्र योगदान/प्रभार ग्रहण करते समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे।
- वित्त विभाग के संकल्प सं0-1964 दिनांक 31.08.2005 एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत संकल्प/परिपत्रों आदि के आलोक में इनकी नियुक्ति नयी अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत आच्छादित होगी।
- योगदान/प्रभार ग्रहण करने हेतु नवनियुक्त पदाधिकारी को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
स्मृति कुमारी, उप सचिव।

25 फरवरी 2025

सं0 01/रा०स्था० (सम्पुष्टि)-47/2023 सह०/854—बिहार सहकारिता अंकेक्षण सेवा संवर्ग के पदाधिकारी श्री शैलेन्द्र कुमार, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सं0स0, सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, पूसा, समस्तीपुर (नियुक्ति की तिथि-28.10.2009) को मूल कोटि पद जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ के स्थायी पद पर दिनांक-28.10.2011 से सेवा सम्पुष्ट किया जाता है।

- इसमे सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
स्मृति कुमारी, उप सचिव।

30 जून 2025

सं० 01/रा०स्था०(स्था./पद.)-42/2025 सह०-3165—बिहार सहकारिता अंकेक्षण सेवा सर्वग के स्तम्भ-02 में अंकित निम्नांकित पदाधिकारियों को स्तम्भ-04 में अंकित पद/स्थान से स्थानांतरित करते हुए स्तम्भ-05 में अंकित पद पर पदस्थापित करते हुए स्तम्भ-06 में अंकित पद का अतिरिक्त प्रभार तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक दिया जाता है :—

क्र० सं०	पदाधिकारियों का नाम/सिविल लिस्ट क्र०/गृह जिला	पदनाम	वर्तमान पदस्थापन पद (अतिरिक्त प्रभार सहित)	नव पदस्थापन पद/स्थान	अतिरिक्त प्रभार
1	2	3	4	5	6
1	श्री धनंजय कुमार, 08/24 औरंगाबाद	उप मुख्य अंकेक्षक, स.स.,	उप मुख्य अंकेक्षक, स.स., कार्यालय निबंधक, स.स., बिहार, पटना	—	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स.स., बेगूसराय
2	श्री सुभाष चन्द्र वर्मा, 10/24 मुंगेर	उप मुख्य अंकेक्षक, स.स.,	उप मुख्य अंकेक्षक, स.स., बिहार राज्य को-ऑपरेटिव बैंक, पटना (अतिरिक्त प्रभार जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स.स., जहानाबाद)	—	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स.स., भोजपुर (आरा)
3	श्री राजेश कुमार, 11/24 बेगूसराय	उप मुख्य अंकेक्षक, स.स.,	उप मुख्य अंकेक्षक, स.स., सहकारी गृह निर्माण एवं उपभोक्ता संघ, पटना (अतिरिक्त प्रभार जिला अंकेक्षण पदा., स.स., गया जी)	—	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स.स., समस्तीपुर
4	श्री किशोर कुमार झा, 13/24 पूर्णिया	उप मुख्य अंकेक्षक, स.स.,	उप मुख्य अंकेक्षक, स.स., कोशी एवं दरभंगा प्रमंडल, सहरसा	—	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स.स., दरभंगा
5	श्री मुकेश कुमार, 16/24 समस्तीपुर	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स०स०	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, शिवहर(अतिरिक्त प्रभार—जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स०स०, सीतामढ़ी/जिला अंकेक्षण जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स०स०, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी)	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स.स., मधुबनी	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स.स., सुपौल
6	श्रीमती वैशाली चौधरी, 18/24 मुजफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश)	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स०स०	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, कटिहार	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स.स., पूर्णिया	
7	श्री प्रियेश प्रियदर्शी, 21/24 नालंदा	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स०स०	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, मधुबनी (अतिरिक्त प्रभार—जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स०स०, सुपौल)	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स.स., पूर्वीचम्पारण (मोतिहारी)	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स.स., पश्चिमीचम्पारण (बेतिया)
8	श्री शहबाज हुसैन, 22/24 किशनगंज	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स.स.,	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स.स., मधेपुरा (अतिरिक्त प्रभार—जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स.स., सहरसा)	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स.स., कटिहार	

9	श्रीमती अस्तुति, 23/24 पूर्णियाँ	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स0स0	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोगसमितियाँ, किशनगंज (अतिरिक्त प्रभार—जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, अररिया)	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स.स., अररिया	
10	मो0 फैसल अली 28/24 भागलपुर	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स0स0	अनुमंडल अंकेक्षण पदाधिकारी, सुपौल	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स.स., किशनगंज	
11	श्री राजीव रंजन 29/24 जहानाबाद	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स0स0	अनुमंडल अंकेक्षण पदाधिकारी, रोहतास	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स.स., मुंगेर	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स.स., खगड़िया
12	श्रीमती श्री प्रभा 30/24 बांका	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स0स0	अनुमंडल अंकेक्षण पदाधिकारी, कटिहार	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स.स., मधेपुरा	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स.स., सहरसा
13	सुश्री राखी कुमारी 31/24 शेखपुरा	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स0स0	अनुमंडल अंकेक्षण पदाधिकारी, सिवान (अतिरिक्त प्रभार—जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, सीवान)	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स.स., गोपालगंज	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स.स., सिवान (श्रीमती स्वप्निल, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स.स. के अवकाश अवधि तक)
14	श्री मनोज कुमार, 35/24 वैशाली	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स.स.,	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स.स., मुजफ्फरपुर (अतिरिक्त प्रभार—जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स.स., समस्तीपुर)	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स.स., अरवल	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स0स0, गयाजी
15	श्री विद्यासागर राम, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स0स0	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स0स0, पूर्णियाँ	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स0स0, मुजफ्फरपुर	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स0स0, शिवहर एवं जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स.स., सीतामढ़ी
16	श्री नन्द किशोर, गयाजी	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स0स0	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स0स0, दरभंगा	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स0स0, कैमूर (भभुआ)	
17	श्री कैलाश चौधरी, नालंदा	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स0स0	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स0स0, मुंगेर (अतिरिक्त प्रभार—जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स0स0, खगड़िया)	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स0स0, नवादा	
18	श्री पवन कुमार भारती, पटना	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स0स0	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स0स0, पश्चिमी चम्पारण (बेतिया) (अतिरिक्त प्रभार—जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स0स0, गोपालगंज)	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स0स0, बक्सर	

2. उपर्युक्त व पदस्थापित सूची के क्रमांक—06, 08, 09, 15, 17 एवं 18 में अंकित पदाधिकारियों का स्थानान्तरण उनके अभ्यावेदन के आधार पर किया गया है। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के संकल्प संख्या—434 दिनांक—01.03.2007 में निहित प्रावधान के आलोक में अभ्यावेदन के आधार पर पदाधिकारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन की स्थिति में उन्हें स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं पारगमन अवधि अनुमान्य नहीं होगी।

3. सभी स्थानांतरित पदाधिकारी अपने नव पदस्थापन / अतिरिक्त प्रभार वाले पद पर अविलंब योगदान / प्रभार ग्रहण करेंगे एवं इसकी सूचना सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

4. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
स्मृति कुमारी, उप सचिव।

6 मार्च 2025

सं० 01/रा.स्था.एम.ए.सी.पी.-111/2024 सह.-1116—बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त “रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना, 2010” के प्रावधानों के तहत बिहार सहकारिता प्रशासनिक सेवा संवर्ग के निम्न पदाधिकारियों को स्तम्भ-04 में अंकित तिथि से लेवल-11 में प्रथम रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम/सिविल लिस्ट क्रमांक	वर्तमान पदस्थापन	प्रथम रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन अनुमान्यता की तिथि
1	2	3	4
1	श्री अजय कुमार भारती 57/18	प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., बेतिया।	15.05.2018
2	श्रीमती लवली 67/18	जिला सहकारिता पदाधिकारी, भोजपुर, आरा।	23.03.2021

2. वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप पदाधिकारियों का वेतन निर्धारण रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना नियमावली, 2010 के नियम परिशिष्ट-I के प्रावधानों एवं समय-समय पर इस सम्बंध में वित्त विभाग द्वारा निर्गत अनुदेशों के अनुरूप किया जायेगा।

3. गैर संवर्गीय/बाह्य सेवा शर्तों/सहकारी संस्थाओं में पदस्थापन अवधि का एम०ए०सी०पी० लाभ स्वीकृति के फलस्वरूप बकाया राशि का भुगतान सम्बंधित संस्थाओं द्वारा किया जायेगा।

4. रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना का लाभ स्वीकृति में किसी कारणों से भविष्य में संशोधन की आवश्यकता होने पर सम्बंधित पदाधिकारी को स्वीकृत लाभ से सम्बंधित अधिसूचना को रद्द/संशोधित किया जा सकेगा तथा उन्हें भुगतान की गयी अधिक राशि की वसूली/प्रतिपूर्ति की जा सकेगी।

5. इसमें माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
स्मृति कुमारी, उप सचिव।

27 फरवरी 2025

सं० 01/रा. स्था. (नियुक्ति)-161/2024 सह.-933—बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 69वीं सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बिहार सहकारिता प्रशासनिक सेवा संवर्ग, वर्ग-2 (समूह-‘ख’) में नियुक्ति हेतु अनुशंसित अभ्यर्थियों में से आईरिस सत्यापन हेतु छुट्टे श्री विनीत आनन्द का दिनांक-25.02.2025 को पूर्वाह्न 11:00 बजे आईरिस का सत्यापन किया गया। उक्त के आलोक में अधोलिखित शर्तों के अधीन पे मैट्रिक्स लेवल-9 (रू० 53100-167800) में (राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अनुमान्य भत्तों के साथ) बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान (बिपार्ड), गया में कम्बाईड फाउंडेशन/इंडक्शन कोर्स के प्रशिक्षण हेतु योगदान की तिथि-31.12.2024 (अपराह्न) के प्रभाव से औपबंधिक रूप से परीक्ष्यमान सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ/समकक्ष के पद पर नियुक्त किया जाता है :-

क्रमसं०	अभ्यर्थी का नाम	रौलनं०	जन्म तिथि	गृह जिला	मेधा क्रमांक	आयोग द्वारा आवंटित आरक्षण रोस्टर
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्री विनीत आनन्द	111996	26.01.1998	सारण	05	01

- चरित्र एवं पूर्व वृत्त सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त होने की प्रत्याशा में अगले छः (06) माह के लिए उपर्युक्त नियुक्ति औपबंधिक रूप से की जाती है।
- अभ्यर्थी द्वारा समर्पित शैक्षणिक प्रमाण-पत्र एवं अन्य प्रमाण-पत्रों के संबंधित बोर्ड/संस्था से सत्यापन तथा चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन में यदि कोई प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होता है, तब नवनियुक्त पदाधिकारी की सेवा तात्कालिक प्रभाव से रद्द कर दी जायेगी एवं उनके विरुद्ध आवश्यक विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।

- iii. नव नियुक्त पदाधिकारी की परीक्ष्यमान अवधि 01 वर्षों की होगी तथा उनकी आपसी वरीयता बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित संयुक्त मेधा क्रमांक के अनुसार होगी।
- iv. अभ्यर्थी को उनके अभिप्रमाणित फोटो युक्त नियुक्ति संबंधी निर्गत अधिसूचना की प्रति उपलब्ध कराया जायेगा।
- v. अभ्यर्थी को यह निदेश दिया जाता है बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान (बिपार्ड), गया में कम्बाईड फाउंडेशन/इंडक्शन कोर्स के प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरांत वे अपना योगदान निश्चित रूप से सहकारिता विभाग, बिहार, पटना में समर्पित करेंगे। निर्धारित अवधि में प्रभार ग्रहण नहीं करने अथवा प्रभार ग्रहण की अवधि के विस्तार हेतु आवेदन नहीं करने की स्थिति में उनकी नियुक्ति रद्द करने पर नियमानुसार विचार किया जायेगा।
- vi. अभ्यर्थी सामान्य प्रशासन विभाग (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) द्वारा निर्गत संकल्प सं०-1991, दिनांक-18.01.1976 के अनुपालन में दहेज न लेने/न देने संबंधी घोषणा पत्र योगदान/प्रभार ग्रहण करते समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे।
- vii. वित्त विभाग के संकल्प सं०-1964 दिनांक 31.08.2005 एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत संकल्प/परिपत्रों आदि के आलोक में इनकी नियुक्ति नयी अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत आच्छादित होगी।
- viii. योगदान/प्रभार ग्रहण करने हेतु नवनियुक्त पदाधिकारी को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
स्मृति कुमारी, उप सचिव।

1 मार्च 2025

सं० 01/रा.स्था.एम.ए.सी.पी.-80/2024सह०/998—श्री कौशल किशोर, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, जहानाबाद के दिनांक-31.01.2025 को वार्धक्य सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप श्री सुभाष चन्द्र वर्मा, उप मुख्य अंकेक्षक, सहयोग समितियाँ, बिहार राज्य सहकारी बैंक लि०, पटना को जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, जहानाबाद का अतिरिक्त प्रभार तत्काल प्रभाव से दिया जाता है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
स्मृति कुमारी, उप सचिव।

6 मार्च 2025

सं० 01/रा.स्था.एम.ए.सी.पी.-111/2024 सह०-1136—बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त "रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना, 2010" के प्रावधानों के तहत बिहार सहकारिता प्रशासनिक सेवा संवर्ग के निम्न पदाधिकारियों को स्तम्भ-04 में अंकित तिथि से लेवल-12 में द्वितीय रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम/सिविल लिस्ट क्रमांक	वर्तमान पदस्थापन	द्वितीय रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन अनुमान्यता की तिथि
1	2	3	4
1	श्री प्रभात कुमार 26/18	अपर निबंधक, सहयोग समितियाँ (साख), बिहार, पटना।	01.04.2020

2. वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप पदाधिकारियों का वेतन निर्धारण रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना नियमावली, 2010 के नियम परिशिष्ट-I के प्रावधानों एवं समय-समय पर इस सम्बंध में वित्त विभाग द्वारा निर्गत अनुदेशों के अनुरूप किया जायेगा।

3. गैर संवर्गीय/बाह्य सेवा शर्तों/सहकारी संस्थाओं में पदस्थापन अवधि का एम०ए०सी०पी० लाभ स्वीकृति के फलस्वरूप बकाया राशि का भुगतान सम्बंधित संस्थाओं द्वारा किया जायेगा।

4. रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्तिउन्नयन योजना का लाभ स्वीकृति में किसी कारणों से भविष्य में संशोधन की आवश्यकता होने पर सम्बंधित पदाधिकारी को स्वीकृत लाभ से सम्बंधित अधिसूचना को रद्द/संशोधित किया जा सकेगा तथा उन्हें भुगतान की गयी अधिक राशि की वसूली/प्रतिपूर्ति की जा सकेगी।

5. इसमें माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
स्मृति कुमारी, उप सचिव।

18 दिसम्बर 2025

सं० 01/रा०स्था० (निजी)-48/2020 सह०-6343—बिहार सहकारिता प्रशासनिक सेवा सवर्ग के निम्न पदाधिकारी को मूल कोटि पद सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ/समकक्ष के स्थायी पद पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-5 में अंकित तिथि से सेवा संपुष्ट किया जाता है :-

क्र०सं०	पदाधिकारी का नाम/ पदनाम	वर्तमान पदस्थापन	प्रथम नियुक्ति की तिथि	सेवा सम्पुष्टि की तिथि
1	2	3	4	5
1	श्री मिथिलेश कुमार, सहायक निबंधक, स०स०	जिला सहकारिता पदाधिकारी, गया	13.01.2014	11.10.2020

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
स्मृति कुमारी, उप सचिव।

30 सितम्बर 2025

सं० 01/रा०स्था० (स्था०/पद०)-42/2025सह०-5047—बिहार सहकारिता अंकेक्षण सेवा सवर्ग के स्तम्भ-02 में अंकित निम्नांकित पदाधिकारियों को स्तम्भ-05 में अंकित पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है :-

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम/गृह जिला	पदनाम/ उच्चतर प्रभार	वर्तमान पदस्थापन कार्यालय	नव पदस्थापन पद/स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री अक्षय कुमार सिन्हा, गयाजी	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स०स०	कार्यालय जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स०स०, औरंगाबाद।	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स०स०, गयाजी।	—
2	श्री अभय कुमार वर्मा, भोजपुर	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स०स०	कार्यालय उप मुख्य अंकेक्षक, बिहार राज्य सहकारी बैंक लि०, पटना।	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स०स०, कार्यालय, निबंधक, स०स०, बिहार, पटना।	—
3	श्री वेद प्रकाश गुप्ता, सारण	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स०स०	कार्यालय संयुक्त निबंधक (अंके), स०स०, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर।	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स०स०, जहानाबाद।	—
4	श्री विमल सोरेन, जमुई	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स०स०	कार्यालय जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स०स०, पूर्णियाँ।	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स०स०, बाँका	—
5	श्री सुनील कुमार चौधरी, औरंगाबाद	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स०स०	कार्यालय जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स०स०, वैशाली (हाजीपुर)।	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स०स०, रोहतास, सासाराम।	—
6	श्री संतोष कुमार, पटना	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स०स०	कार्यालय निबंधक, स०स०, बिहार, पटना।	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स०स०, सीतामढ़ी।	—
7	श्री श्याम रजक, पटना	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स०स०	कार्यालय जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स०स०, दरभंगा।	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स०स०, नालन्दा।	—

2. श्री अक्षय कुमार सिन्हा की आसन्न सेवानिवृत्ति एवं अभ्यावेदन के आधार पर उनका पदस्थापन गृह जिला में किया गया है।

3. सभी नव पदस्थापित पदाधिकारियों को निदेशित किया जाता है कि नव पदस्थापन पद/स्थान का अविलम्ब प्रभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।

4. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अभय कुमार सिंह, अपर सचिव।

28 फरवरी 2025

सं० 01/रा.स्था. (स्था०/पद०)—01/2025 सह.—937—बिहार सहकारिता प्रशासनिक सेवा संवर्ग के स्तम्भ—02 में अंकित निम्नांकित पदाधिकारियों को प्रशासनिक दृष्टिकोण से कार्यहित में स्तम्भ—4 में अंकित पद/स्थान से स्थानान्तरित करते हुए स्तम्भ—05 में अंकित पद पर पदस्थापित करते हुए स्तम्भ—06 में अंकित पद का अतिरिक्त प्रभार तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक दिया जाता है:—

क्रम सं.	पदाधिकारियों का नाम/ सिविल लिस्टक्र./मेधा क्रमांक/गृह जिला	पदनाम	वर्तमान पदस्थापन पद/स्थान	नव पदस्थापन पद/ स्थान	अतिरिक्त प्रभार
1	2	3	4	5	6
1.	श्री मिथिलेश कुमार, 71/18 वैशाली।	सहायक निबंधक, स०स०	पदस्थापन की प्रतीक्षा में	प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि०, खगड़िया।	—
2.	श्री श्रीन्द्र नारायण, रोहतास।	सहायक निबंधक, स०स०	पदस्थापन की प्रतीक्षा में	उप महाप्रबंधक, बिहार राज्य सहकारी बैंक लि०, पटना।	सचिव, बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिकरण, पटना।
3.	श्री सुदर्शन कुमार, सहरसा।	सहायक निबंधक, स०स०	जिला सहकारिता पदाधिकारी, मधुबनी।	—	प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि०, रोहिका, मधुबनी।
4.	सुश्री अंशु कुमारी, पूर्वी चम्पारण।	सहायक निबंधक, स०स०	जिला सहकारिता पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया।	सहायक निबंधक, स०स०, मधुबनी।	सहायक निबंधक, स०स०, बेनीपट्टी।
5.	श्री प्रशान्त कुमार, बेगूसराय।	सहायक निबंधक, स०स०	प्रशासी पदाधिकारी, कार्यालय, संयुक्त निबंधक, स०स०, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा।	जिला सहकारिता पदाधिकारी, गया।	सहायक निबंधक, स०स०, गया/ सहायक निबंधक, स०स०, शेरघाटी।
6.	श्री मनोज कुमार चौधरी, कटिहार।	सहायक निबंधक, स०स०	पदस्थापन की प्रतीक्षामें	जिला सहकारिता पदाधिकारी, औरंगाबाद।	महाप्रबंधक, आई०सी०डी०पी०, औरंगाबाद।
7.	श्री शैलेश कुमार कच्छप, पटना।	सहायक निबंधक, स०स०	कार्यालय, सहायक निबंधक, स०स०, हाजीपुर।	सहायक निबंधक, स०स०, रोसड़ा।	सहायक निबंधक, स०स०, पटोरी।
8.	श्री संजय कुमार सिन्हा, समस्तीपुर।	सहायक निबंधक, स०स०	पदस्थापन की प्रतीक्षा में	जिला सहकारिता पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया।	—
9.	श्री दिनेश कुमार सिन्हा, पटना।	सहायक निबंधक, स०स०	पदस्थापन की प्रतीक्षामें	सहायक निबंधक, स०स० (अ०र०), बिहार, पटना।	—
10.	श्री प्रवीण कुमार सिन्हा, पूर्वी चम्पारण।	सहायक निबंधक, स०स०	सहायक निबंधक, स०स० (अ०र०), बिहार, पटना	सहायक निबंधक, स०स०, शेखपुरा।	जिला सहकारिता पदाधिकारी, शेखपुरा।

2. उच्चतर पद पर पदस्थापित होने की दशा में पदाधिकारी अपने ही वेतनमान में उच्चतर पद के प्रभारी समझे जायेंगे।

3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
स्मृति कुमारी, उप सचिव।

3 अक्टूबर 2025

सं० 01/रा.स्था.स्थाना./पद.-11/2020 सह.-5048—डॉ. गगन, प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भंडार निगम, पटना को अपने कार्यों के अतिरिक्त प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी फेडरेशन लि., पटना के पद का अतिरिक्त प्रभार तत्काल प्रभाव से दिया जाता है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अभय कुमार सिंह, अपर सचिव।

6 मार्च 2025

सं० 01/रा.स्था.एम.ए.सी.पी.-111/2024 सह.-1118—श्री अशोक कुमार रजक, तत्कालीन उप निबंधक, सं०स०, कार्यालय, संयुक्त निबंधक, सं०स०, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर सम्प्रति सेवानिवृत्त को विभागीय अधिसूचना संख्या-3536, दिनांक-26.10.2018 द्वारा संसूचित "निन्दन" के दण्ड का कुप्रभाव दिनांक-31.03.2013 तक रहने के कारण विभागीय अधिसूचना संख्या-2949, दिनांक-17.10.2023 द्वारा श्री रजक को दिनांक-01.04.2012 के प्रभाव से स्वीकृत द्वितीय एम.ए.सी.पी के लाभ को संशोधित करते हुए दिनांक-01.04.2013 के प्रभाव से प्रदान किया जाता है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
स्मृति कुमारी, उप सचिव।

8 अप्रैल 2025

सं० 01/रा.स्था० (निजी)-44/2024 सह०-1770—बिहार सहकारिता प्रशासनिक सेवा संवर्ग के निम्न पदाधिकारी को मूल कोटि पद सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ के स्थायी पद पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-5 में अंकित तिथि से सेवा संपुष्ट किया जाता है :-

क्र०सं०	पदाधिकारी का नाम	वर्तमानपदस्थापन	प्रथम नियुक्ति की तिथि	सेवा सम्पुष्टि की तिथि
1	2	3	4	5
1	श्रीमती पूनम कुमारी	प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि०, गोपालगंज।	31.12.2021	31.12.2023

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
स्मृति कुमारी, उप सचिव।

11 अप्रैल 2025

सं० 01/रा.स्था.एम.ए.सी.पी.-111/2024 सह.-1803—बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त "रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना, 2010" के प्रावधानों के तहत बिहार सहकारिता प्रशासनिक सेवा संवर्ग के निम्न पदाधिकारियों को स्तम्भ-04 में अंकित तिथि से लेवल-13 में तृतीय रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम/सिविल लिस्ट क्रमांक	वर्तमान पदस्थापन	तृतीय रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन अनुमान्यता की तिथि
1	2	3	4
1	श्री कृष्णा चौधरी 21/18	तत्कालीन संयुक्त निबंधक, सं०स०, सारण प्रमंडल, छपरा (अपर निबंधक, सं०स० का उच्चतर प्रभार) सम्प्रति सेवानिवृत्त।	01.07.2021

2. वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप पदाधिकारियों का वेतन निर्धारण रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना नियमावली, 2010 के नियम परिशिष्ट-I के प्रावधानों एवं समय-समय पर इस सम्बंध में वित्त विभाग द्वारा निर्गत अनुदेशों के अनुरूप किया जायेगा।

3. गैर संवर्गीय/बाह्य सेवा शर्तों/सहकारी संस्थाओं में पदस्थापन अवधि का एम०ए०सी०पी० लाभ स्वीकृति के फलस्वरूप बकाया राशि का भुगतान सम्बंधित संस्थाओं द्वारा किया जायेगा।

4. रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना का लाभ स्वीकृति में किसी कारणों से भविष्य में संशोधन की आवश्यकता होने पर सम्बंधित पदाधिकारी को स्वीकृत लाभ से सम्बंधित अधिसूचना को रद्द/संशोधित किया जा सकेगा तथा उन्हें भुगतान की गयी अधिक राशि की वसूली/प्रतिपूर्ति की जा सकेगी।

5. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
स्मृति कुमारी, उप सचिव।

13 मार्च 2025

सं0 01/रा.स्था. (स्था./पद.)-01/2025 सह.-1293—बिहार सहकारिता प्रशासनिक सेवा संवर्ग के स्तम्भ-02 में अंकित निम्नांकित पदाधिकारियों को प्रशासनिक दृष्टिकोण एवं कार्य की महत्ता के दृष्टिगत स्तम्भ-05 में अंकित रिक्त पदों/पदों का अतिरिक्त प्रभार तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक दिया जाता है :-

क्रम सं.	पदाधिकारियों का नाम/गृह जिला	पदनाम	वर्तमान पदस्थापन पद/स्थान	अतिरिक्त प्रभार
1	2	3	4	5
1	श्री नेश गोल्ड/गया	सहायक निबंधक, स.स.	जिला सहकारिता पदाधिकारी, जहानाबाद	सहायक निबंधक, स.स., जहानाबाद
2	श्री शिव शंकर कुमार/पटना	सहायक निबंधक, स.स.	जिला सहकारिता पदाधिकारी, मधेपुरा	सहायक निबंधक, स.स., मधेपुरा
3	श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह/वैशाली	सहायक निबंधक, स.स.	सहायक निबंधक, स.स., मोतिहारी	सहायक निबंधक, स.स., सिकरहना
4	सूश्री कुमारी आरुती/गया	सहायक निबंधक, स.स.	सहायक निबंधक, स.स., कार्यालय जिला सहकारिता पदाधिकारी, रोहतास (सासाराम)	सहायक निबंधक, स.स., सासाराम
5	श्री अजय कुमार भारती/दरभंगा	उप निबंधक, स.स.	प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., बेतिया।	महाप्रबंधक आई.सी.डी.पी., बेतिया

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मो. अब्दुल रब खॉं, उप सचिव।

4 मार्च 2025

सं0 01/रा. स्था. (नियुक्ति)-161/2024 सह.-1056—बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 69वीं सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बिहार सहकारिता प्रशासनिक सेवा संवर्ग, वर्ग-2 (समूख-‘ख’) में नियुक्ति हेतु अनुशंसित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को अधोलिखित शर्तों के अधीन पे मैट्रिक्स लेवल-9 (रू0 53100-167800) में (राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अनुमान्य भत्तों के साथ) औपबंधिक रूप से परीक्ष्यमान सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ/समकक्ष के पद पर विभागीय अधिसूचना सं0 869 दिनांक 25.02.2025 एवं अधिसूचना सं0 933 दिनांक 27.02.2025 द्वारा बिपार्ड, गया में कम्बाईड फाउंडेशन/इंडक्शन कोर्स के प्रशिक्षण हेतु योगदान की तिथि दिनांक-31.12.2024 (अपराह्न) के प्रभाव से नियुक्त किया गया है। बिपार्ड, गया से दिनांक 01.03.2025 (अपराह्न) को प्रशिक्षण से विरमित होने के उपरांत उनके नाम के समक्ष कॉलम-8 में अंकित पद/स्थान पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है :-

क्रम सं0	अभ्यर्थी का नाम	रोल नं0	जन्म तिथि	गृह जिला	मेधा क्रमांक	आयोग द्वारा आवंटित आरक्षण रोस्टर	पदस्थापित पद/स्थान
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	श्री विनीत आनन्द	111996	26.01.1998	सारण	05	01	सहायक निबंधक, स0स0, कार्यालय, जिला सहकारिता पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर
2.	सुश्री रितु कुमारी	117246	01.01.1997	पटना	31	01	सहायक निबंधक, स0स0, कार्यालय, जिला सहकारिता पदाधिकारी, नालंदा, बिहारशरीफ
3.	श्री सिद्धार्थ सिन्हा	156040	03.10.1996	सीतामढ़ी	34	01	सहायक निबंधक, स0स0, (अवकाश/प्रशिक्षण रक्षित) कार्यालय निबंधक, स0स0, बिहार, पटना।
4	सुश्री अनुप्रिया	111367	12.12.1999	सारण	45	07	सहायक निबंधक, स0स0, (अवकाश/प्रशिक्षण रक्षित) कार्यालय निबंधक, स0स0, बिहार, पटना।

5	श्री सौरभ कुमार	301189	21.12.1996	कैमूर	211	02	प्रशासी पदाधिकारी, कार्यालय, संयुक्त निबंधक, स0स0, मगध प्रमंडल, गया।
---	-----------------	--------	------------	-------	-----	----	--

- प्रत्येक अभ्यर्थी को उपलब्ध कराये गये उनके अभिप्रायित फोटो युक्त नियुक्ति संबंधी निर्गत अधिसूचना की प्रतिलिपि रूप में संबंधित संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ/जिला सहकारिता पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर ही उनका योगदान स्वीकृत किया जा सकेगा।
- सभी अभ्यर्थियों को यह निदेश दिया जाता है कि अधिसूचना निर्गत होने की तिथि के अगले दिन तक वे अपना योगदान नव पदस्थापन पद पर निश्चित रूप से समर्पित करेंगे। निर्धारित अवधि में प्रभार ग्रहण नहीं करने अथवा प्रभार ग्रहण की अवधि के विस्तार हेतु आवेदन नहीं करने की स्थिति में उनकी नियुक्ति रद्द करने पर नियमानुसार विचार किया जायेगा।
- सभी अभ्यर्थी सामान्य प्रशासन विभाग (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) द्वारा निर्गत संकल्प सं0-1991, दिनांक-18.01.1976 के अनुपालन में दहेज न लेने/न देने संबंधी घोषण पत्र योगदान/प्रभार ग्रहण करते समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे।
- औपबंधिक रूप से नियुक्त पदाधिकारी अपने नियंत्री पदाधिकारी के पर्यवेक्षण में अपने कार्यालय के कार्यों का निष्पादन करेंगे।
- वित्त विभाग के संकल्प सं0-1964 दिनांक 31.08.2005 एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत संकल्प/परिपत्रों आदि के आलोक में इनकी नियुक्ति नयी अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत आच्छादित होगी।
- योगदान/प्रभार ग्रहण करने हेतु नवनियुक्त पदाधिकारी को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
स्मृति कुमारी, उप सचिव।

3 जनवरी 2025

सं0 01/रा.स्था.(स्था0/पद0)-79/2024 सह-34—बिहार सहकारिता प्रशासनिक सेवा संवर्ग के स्तम्भ-02 में अंकित निम्नांकित पदाधिकारियों को प्रशासनिक दृष्टिकोण एवं कार्य की महत्ता के दृष्टिगत स्तम्भ-05 में अंकित रिक्त पदों का अतिरिक्त प्रभार तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक दिया जाता है :-

क्रम सं.	पदाधिकारियों का नाम/सिविल लिस्टक्र०/गृह जिला	पदनाम/उच्चतर प्रभार	वर्तमान पदस्थापन पद/स्थान	अतिरिक्त प्रभार
1	2	3	4	5
1	श्री धर्मनाथ प्रसाद, 62/18, पूर्वी चम्पारण	सहायक निबंधक, स0स0	जिला सहकारिता पदाधिकारी, नालन्दा, बिहारशरीफ (अतिरिक्त प्रभार-सहायक निबंधक, स0स0, हिलसा)	सहायक निबंधक, स0स0, बिहारशरीफ
2	श्री सुधीर कुमार सिंह, पटना	सहायक निबंधक, स0स0	सहायक निबंधक, स0स0, छपरा (अतिरिक्त प्रभार-जिला सहकारिता पदाधिकारी, सारण, छपरा)	सहायक निबंधक, स0स0, सोनपुर
3	श्री नरोत्तम पाण्डेय, जहानाबाद	सहायक निबंधक, स0स0	सहायक निबंधक, स0स0, पटना सदर	सहायक निबंधक, स0स0, बाढ़
4	श्री रमेश कुमार सिंह, रोहतास	सहायक निबंधक, स0स0	सहायक निबंधक, स0स0, दानापुर	सहायक निबंधक, स0स0, मसौढ़ी।

2. उच्चतर पद पर प्रभारित होने की दशा में पदाधिकारी अपने ही वेतनमान में उच्चतर पद के प्रभारी समझे जायेंगे।

3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मो. अब्दुल रब खॉं, उप सचिव।

21 जनवरी 2025

सं0 01/रा.स्था.निजी-48/2020 सह-336—श्री विद्याभूषण मिश्र, प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., कटिहार को अपने कार्यों के अतिरिक्त प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., पूर्णियाँ का अतिरिक्त प्रभार तत्काल प्रभाव से दिया जाता है।

2. श्री मिथिलेश कुमार (71/18), प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि०, पूर्णियाँ अविलम्ब प्रभार सौंपकर विभाग में योगदान देंगे।

3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
स्मृति कुमारी, उप सचिव।

21 जनवरी 2025

सं० 01/रा०स्था० (स्था०/पद०)-01/2025 सह०-337—बिहार सहकारिता प्रशासनिक सेवा सर्वग के स्तम्भ-02 में अंकित निम्नांकित पदाधिकारियों का प्रशासनिक दृष्टिकोण एवं कार्यहित में स्तम्भ-5 में अंकित पद का अतिरिक्त प्रभार तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक दिया जाता है :-

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम/ सिविल लिस्ट क्र०/ मेधा क्रमांक/गृह जिला	पदनाम/ उच्चतर प्रभार	वर्तमान पदस्थापन पद/स्थान	अतिरिक्त प्रभार
1	2	3	4	5
1.	मो० अमजद हयात बर्क, 49/18, मुजफ्फरपुर।	संयुक्त निबंधक, स०स०	संयुक्त निबंधक, स०स०, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ	संयुक्त निबंधक, स०स०, कोशी प्रमंडल, सहरसा
2.	श्री मिथिलेश कुमार, 66/18 रोहतास।	उप निबंधक, स०स०	प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि०, बेगूसराय	प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि०, खगड़िया
3.	श्री वीरेन्द्र कुमार प्रभाकर, भोजपुर।	सहायक निबंधक, स०स०	सहायक निबंधक, स०स०, विक्रमगंज।	सहायक निबंधक, स०स०, सासाराम

2. श्री मनोज कुमार चौधरी, प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि०, खगड़िया अपने पद का अविलम्ब प्रभार सौंपकर विभाग में योगदान देंगे।

3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
स्मृति कुमारी, उप सचिव।

5 जनवरी 2026

सं० 01/रा०स्था०(एम.ए.सी.पी.)-67/2025 सह०-75—श्री मनोज कुमार शर्मा को विभागीय अधिसूचना संख्या-2949, दिनांक-17.10.2023 द्वारा दिनांक-01.04.2014 के प्रभाव से दिये गये द्वितीय एम.ए.सी.पी. निलम्बन अवधि में रहने के कारण श्री शर्मा पर अधिरोपित दण्ड एवं निलम्बन अवधि के आलोक में श्री मनोज कुमार शर्मा, सेवानिवृत्त जिला सहकारिता पदाधिकारी-सह-सहायक निबंधक, स०स०, लखीसराय को देय द्वितीय एम.ए.सी.पी.का लाभ दिनांक-01.04.2022 के प्रभाव से संशोधित किया जाता है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
स्मृति कुमारी, उप सचिव।

31 दिसम्बर 2025

सं० 01/रा०स्था०(VEGFED)-89/2023सह०-6560—सहकारिता विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक-4/नि०(पणन)सब्जी प्र०/वि०योजना-12/2018 -10615, दिनांक-05.12.2018 के द्वारा बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजनान्तर्गत प्रशासनिक एवं वित्तीय व्यवस्था तथा कार्यभार स्वीकृत किया गया है।

उक्त संकल्प की कंडिका-5(क) के तहत तात्कालिक व्यवस्था के अंतर्गत प्रावधान के आलोक में निम्न प्रशासनिक व्यवस्था की जाती है:-

क्रम सं०	पदनाम	पदेन पदाधिकारी	अभ्युक्ति
1	2	3	4
1.	मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी	सम्बंधित प्रमंडल के प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ/वरीय पदाधिकारी/विभाग द्वारा नामित पदाधिकारी	

2.	उप मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी	सम्बंधित जिला के जिला सहकारिता पदाधिकारी	
3.	प्रखण्ड स्तरीय प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति के प्रभारी	सम्बंधित प्रखण्ड में पदस्थापित सहकारिता प्रसार पदाधिकारी संवर्ग के वरीय पदाधिकारी	

2. संघ स्तर पर पदेन पदाधिकारी प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक, स.स. के अतिरिक्त किसी अन्य पदाधिकारी को नामित करने का आदेश विभाग द्वारा अलग से निर्गत किया जायेगा।

3. संघ स्तर पर कार्य भारित मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उप मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी एवं वरीय प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी का कार्य एवं दायित्व निम्न प्रकार से निर्धारित किया जाता है:—

(क) मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी:— इनका मुख्य दायित्व सभी व्यवस्थाओं के साथ सम्पूर्ण व्यावसायिक संचालन की निरंतरता तथा इस व्यवस्था में सभी आवर्ती व्यय को पूरा कर प्रत्येक PVCS को self sustaining unit के रूप में विकसित करने के लिए हो रहे प्रयासों की समीक्षा करना। इसके अलावा इनका निम्न दायित्व होगा:—

1. संघ के व्यवसाय, वित्त, प्रबंध एवं प्रशासन पर सामान्य नियंत्रण रखना।
2. संघ के निदेशक मंडल और आम सभा की बैठक निदेशक मंडल के निदेशानुसार या यथा आवश्यकता अपेक्षित संख्या में सदस्यों की मांग पर या निबंधक, सहयोग समितियाँ या फंडरेशन की मांग पर बुलाएंगे।
3. निदेशक मंडल एवं आम सभा के सचिव के रूप में काम करना एवं बोर्ड तथा अन्य बैठकों की कार्यवाही को सभा बही में लिखना या लिखवाना।
4. वे कर्मचारियों को दंडित और बर्खास्त कर सकेंगे।
5. वे कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करेंगे।
6. वे संघ के निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित सीमा के अंदर व्यावसायिक साख की स्वीकृति दे सकेंगे।
7. वे सामग्रियों के परिवहन किराया और भेजने की व्यवस्था करेंगे।
8. वे आयात-निर्यात व्यवसाय की व्यवस्था करेंगे।
9. वे संघ की ओर से सरकार एवं अन्य संस्थानों के साथ शर्तों के निर्धारण के संबंध में Negotiate करेंगे।
10. वे संघ के लेखा पालन की समुचित व्यवस्था करेंगे।
11. प्रत्येक तीन महीने पर जब भी आवश्यक हो भंडार एवं स्टॉक का परीक्षण एवं सत्यापन करने की व्यवस्था करेंगे।
12. उन्हें संघ की ओर से चेक एवं दूसरे विनियम पत्र, दस्तावेज आदि हस्ताक्षरित करने और पृष्ठ अंकित करने का अधिकार होगा।
13. वे संघ की ओर से कोई मुकदमा कर सकेंगे या दूसरे इनके नाम से संघ पर मुकदमा कर सकेंगे और संघ के पक्ष में सभी बॉन्ड और एकरारनामा उनके पदनाम से संपादित होंगे।
14. वे सभी प्रकार के कागजात, प्रौमीशरी नोट तथा कर्ज के बॉन्ड आदि को सुरक्षित रखने की व्यवस्था करेंगे।
15. वे संघ के व्यवसाय से संबंधित वाउचर, आम खर्च, लाभ-हानि का ब्योरा, देन पावना चिह्न या अन्य कागजात तथा बजट तैयार कर निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत करने की व्यवस्था करेंगे।
16. वे अंकेक्षण प्रतिवेदन को निदेशक मंडल के समक्ष विचारार्थ अविलंब प्रस्तुत करेंगे तथा सुधार हेतु आगे की कार्रवाई करेंगे तथा सुधार प्रतिवेदन समय पर अंकेक्षक को प्रेषित करेंगे।
17. वे अपने अधिकार और नियंत्रण की शक्ति को अंतिम रूप से अपने पास रखते हुए अपने किसी या सभी अधिकार या नियंत्रण की शक्ति को किसी दूसरे वरीय कार्यपालक अधिकारी को सौंप सकेंगे।
18. उन्हें संघ उपविधियों तथा आम सभा के संकल्प में निहित निर्देशों के अंतर्गत संघ के व्यवसाय का संचालन करने का पूर्ण अधिकार होगा।
19. वे संघ उपविधियों में निहित प्रावधानों के अधीन राज्य सहकारी सब्जी फंडरेशन द्वारा दिए गए निदेश का अनुपालन करेंगे।
20. उप-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी की अनुपस्थिति में उनके कार्यों का सम्पादन अध्यक्ष के अनुमोदन से संघ के दूसरे वरीयतम पदाधिकारी करेंगे।
21. उप-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा निर्गत व्यावसायिक गतिविधि (Rules of commercial/Business Activities) बनाकर प्राथमिक समितियों का मार्गदर्शन करेंगे।

(ख) जिला के उप मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी:— इनका मुख्य दायित्व सभी व्यवस्थाओं के साथ सम्पूर्ण व्यावसायिक संचालन की निरंतरता तथा इस व्यवस्था में सभी आवर्ती व्यय को पूरा कर प्रत्येक PVCS को self sustaining unit के रूप में विकसित करना है।

1. संघ एवं PVCS के लिये संरचना निर्माण हेतु भूमि प्राप्ति, राजस्व संबंधी किसी समस्या एवं बाजार की व्यवस्था के लिये प्रखण्ड एवं जिला स्तर पर आने वाली परेशानी का जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर उसका निदान कराना है।
2. वेजफेड को समय-समय पर योजना की प्रगति के संबंध में प्रतिवेदन प्रेषित करना।
3. प्रशिक्षण की आवश्यकता का आकलन करना एवं उसके लिये व्यवस्था करना।

4. योजनाओं का निरंतर निरीक्षण, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करना।
5. समिति के अंकेक्षण एवं अभिलेख संधारण की लगातार समीक्षा करना।
6. वेजफेड योजना के तहत जिला एवं PVCS स्तर पर प्राप्त मानव बल के कार्यों की समीक्षा करना।
- (ग) **वरीय सहकारिता प्रसार पदाधिकारी**—प्रखण्ड में कार्यभारित वरीय सहकारिता प्रसार पदाधिकारी प्रखण्ड स्तर पर गठित एवं निबंधित प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति के संचालन के प्रभावी पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण के लिये जवाबदेह होंगे। उनके द्वारा संपादित किये जाने वाले मुख्य कार्य निम्नवत् हैं :—
1. समिति के संबंध में प्रचार—प्रसार ताकि सब्जी उत्पादक किसानों के मध्य जागरूकता बढ़े।
2. समिति में सदस्यता वृद्धि।
3. प्रखण्ड क्षेत्र में संभावित बाजार की खोज।
4. व्यवसाय वृद्धि के प्रभावी उपायों की तलाश।
5. संघ एवं प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति के मध्य समन्वय स्थापित करना।
6. समिति को प्राप्त योजनाओं का निरंतर निरीक्षण, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करना।
7. समिति का अभिलेख संधारित करवाना।
8. समिति एवं सदस्यों की समस्याओं के निराकरण का प्रयास करना।
9. समिति के प्रबंधक, सहायक प्रबंधक, सब्जी पर्यवेक्षक आदि के कार्यों की समीक्षा करना।
10. समिति में ससमय बैठक का आयोजन करवाना।
11. समिति के कार्यों का साप्ताहिक प्रगति प्रतिवेदन उप मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को उपलब्ध कराना।
4. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा एवं एतद् सम्बंधी पूर्व में निर्गत सभी आदेश इस हद तक रद्द/संशोधित समझे जायेंगे।
5. इस आदेश से आच्छादित सभी पदाधिकारी तत्काल प्रभार ग्रहण कर कार्य प्रारंभ करना सुनिश्चित करेंगे।
6. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
मो. अब्दुल रब खॉं, उप सचिव।

2 जनवरी 2026

सं० 01/रा.स्था.(उच्चतर प्रभार)—40/2025 सह.—58—सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या—19300, दिनांक—13.10.2023 में निहित अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के तहत बिहार सहकारिता प्रशासनिक सेवा संवर्ग के निम्न पदाधिकारियों को उप निबंधक, सहयोग समितियाँ में उसके विहित वेतनमान (वेतर स्तर—11) सहित, अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार दिया जाता है:—

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम	वर्तमान कोटि	सिविल लिस्ट क्रमांक
1	2	3	4
1	श्रीमती संगीता कुमारी	सहायक निबंधक, सं०स०	45/25

2. यह अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या—19300, दिनांक—13.10.2023 में निहित शर्तों के अधीन है।
3. उपर्युक्त पदाधिकारी द्वारा वर्तमान में धारित पद को अगले आदेश तक उप निबंधक, सहयोग समितियाँ (विहित वेतनमान—वेतन स्तर—11) में उल्लिखित किया जाता है।
4. उपर्युक्त पदाधिकारियों को पदभार ग्रहण करने की तिथि से उप निबंधक, सहयोग समितियाँ के पद पर अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ देय होगा।
5. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
स्मृति कुमारी, उप सचिव।

2 जनवरी 2026

सं० 01/रा.स्था.(उच्चतर प्रभार)—40/2025 सह.—57—सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या—19300, दिनांक—13.10.2023 में निहित अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के तहत सहकारिता प्रसार पदाधिकारी संवर्ग के निम्न पदाधिकारियों को बिहार सहकारिता प्रशासनिक सेवा संवर्ग के मूल कोटि का पद सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ में, उसके विहित वेतनमान (वेतर स्तर—09) सहित, अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार दिया जाता है:—

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम	वर्तमान कोटि	सिविल लिस्ट क्रमांक
1	2	3	4
1	श्री प्रफुल्ल चन्द्र यादव	मुख्य सहकारिता प्रसार पदाधिकारी	102/2023

2	श्री अशोक कुमार	मुख्य सहकारिता प्रसार पदाधिकारी	157 / 2023
3	श्री देवानन्द	मुख्य सहकारिता प्रसार पदाधिकारी	172 / 2023
4	श्री सुधीर मांझी	मुख्य सहकारिता प्रसार पदाधिकारी	176 / 2023
5	श्री अनिल कुमार	मुख्य सहकारिता प्रसार पदाधिकारी	178 / 2023
6	श्री अजित कुमार चौधरी	मुख्य सहकारिता प्रसार पदाधिकारी	179 / 2023
7	श्री सरोज कुमार तिवारी	मुख्य सहकारिता प्रसार पदाधिकारी	181 / 2023
8	श्री जितेन्द्र झा	मुख्य सहकारिता प्रसार पदाधिकारी	183 / 2023

2. यह अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या-19300, दिनांक-13.10.2023 में निहित शर्तों के अधीन है।

3. उपर्युक्त पदाधिकारियों द्वारा वर्तमान में धारित पद को अगले आदेश तक सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ (विहित वेतनमान-वेतन स्तर-09) में उत्क्रमित किया जाता है।

4. उपर्युक्त पदाधिकारियों को पदभार ग्रहण करने की तिथि से सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ के पद पर अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ देय होगा।

5. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
स्मृति कुमारी, उप सचिव।

5 जनवरी 2026

सं० 01/रा.स्था.(MACP)-67/2025 सह.-74-बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त (रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) नियमावली 2025 के प्रावधानों के तहत सहकारिता विभाग सांख्यिकी सहायक संवर्ग के निम्न पदाधिकारी को स्तम्भ-04 में अंकित तिथि से लेवल-11 में तृतीय रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम/ सिविल लिस्ट क्रमांक	वर्तमान पदस्थापन	तृतीय रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन अनुमान्यता की तिथि
1	2	3	4
1.	श्री उमेश प्रसाद भगत,	सांख्यिकी पदाधिकारी, कार्यालय, निबंधक, सं०स०, बिहार, पटना।	10.11.2025

2. वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप पदाधिकारियों का वेतन निर्धारण रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना नियमावली, 2025 के प्रावधानों एवं समय-समय पर इस सम्बंध में वित्त विभाग द्वारा निर्गत अनुदेशों के अनुरूप किया जायेगा।

3. गैर संवर्गीय/बाह्य सेवा शर्तों/सहकारी संस्थाओं में पदस्थापन अवधि का एम०ए०सी०पी० लाभ स्वीकृति के फलस्वरूप बकाया राशि का भुगतान सम्बंधित संस्थाओं द्वारा किया जायेगा।

4. रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना का लाभ स्वीकृति में किसी कारणों से भविष्य में संशोधन की आवश्यकता होने पर सम्बंधित पदाधिकारी को स्वीकृत लाभ से सम्बंधित अधिसूचना को रद्द/संशोधित किया जा सकेगा तथा उन्हें भुगतान की गयी अधिक राशि की वसूली/प्रतिपूर्ति की जा सकेगी।

5. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
स्मृति कुमारी, उप सचिव।

2 जनवरी 2026

सं० 01/रा.स्था.(उच्चतर प्रभार)-40/2025 सह.-56-सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या-19300, दिनांक-13.10.2023 में निहित अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के तहत बिहार सहकारी अंकेक्षण संवर्ग के निम्न पदाधिकारियों को बिहार सहकारिता अंकेक्षण सेवा संवर्ग के मूल कोटि का पद जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ में, उसके विहित वेतनमान (वेतन स्तर-09) सहित, अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार दिया जाता है:-

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम	वर्तमान कोटि	सिविल लिस्ट क्रमांक
1	2	3	4
1	श्री उदय चौधरी	अनु.अंके.पदा., सं.स.	39 / 23
2	श्री संजीव कुमार	अनु.अंके.पदा., सं.स.	41 / 23

2. यह अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या-19300, दिनांक-13.10.2023 में निहित शर्तों के अधीन है।

3. उपर्युक्त पदाधिकारियों द्वारा वर्तमान में धारित पद को अगले आदेश तक जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ (विहित वेतनमान-वेतन स्तर-09) में उत्क्रमित किया जाता है।

4. उपर्युक्त पदाधिकारियों को पदभार ग्रहण करने की तिथि से जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ के पद पर अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ देय होगा।

5. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
स्मृति कुमारी, उप सचिव।

9 दिसम्बर 2024

सं0 01/रा.स्था. (नियुक्ति)-17/2024 सह.-4380—बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना के पत्रांक-99 दिनांक-20.02.2024 द्वारा 68वीं सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर प्राप्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय आदेश ज्ञापांक-563 दिनांक-22.02.2024 द्वारा सुश्री शालिनी कुमारी (आयोग की मेधा क्रमांक- 62) को दस्तावेजों के सत्यापन के लिए दिनांक-28.02.2024 को 11:00 बजे पूर्वाह्न उपस्थित होने का निदेश दिया गया था परन्तु सुश्री शालिनी कुमारी दस्तावेज सत्यापन हेतु अनुपस्थित रही। पुनः विभागीय पत्रांक-1477 दिनांक-25.05.2024 द्वारा सुश्री शालिनी को दिनांक-31.05.2024 को दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होने का निदेश दिया गया किन्तु सुश्री शालिनी उक्त तिथि को भी अनुपस्थित रही। पुनः विभागीय पत्रांक-3410 दिनांक-16.10.2024 द्वारा सुश्री शालिनी को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए दिनांक-25.10.2024 को 11:00 बजे पूर्वाह्न दस्तावेजों के सत्यापन हेतु उपस्थित होने का निदेश दिया गया तथा इसे बिहार राज्य में प्रकाशित होनेवाले दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण एवं टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित किया गया परन्तु दस्तावेज सत्यापन करने हेतु निर्धारित तिथि बीत जाने के उपरांत भी सुश्री शालिनी कुमारी द्वारा दस्तावेज सत्यापन हेतु अनुपस्थित रही एवं उनके द्वारा विभाग में उपस्थित होकर अनुपस्थिति के संबंध में साक्ष्य सहित अपना अभ्यावेदन समर्पित नहीं किया गया है।

अतः बिहार लोक सेवा आयोग की 68वीं सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर अनुशंसित अभ्यर्थी सुश्री शालिनी कुमारी की सहकारिता विभाग के अधीन, सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ एवं समकक्ष के पद पर प्राप्त अनुशंसा/नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
स्मृति कुमारी, विशेष कार्य पदाधिकारी।

29 नवम्बर 2024

सं0 01/रा.स्था.(विधि)-136/2024सह.-4244—श्री अरविन्द उद्धव, सहायक निबंधक, स.स., सीतामढ़ी (अतिरिक्त प्रभार-जिला सहकारिता पदाधिकारी, सीतामढ़ी) के स्वास्थ्य कारणों के कारण अवकाश में रहने के आलोक में श्री रंजीत कुमार, जिला सहकारिता पदाधिकारी-सह-सहायक निबंधक, स0स0, शिवहर को श्री अरविन्द उद्धव के प्रभार ग्रहण करने तक अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला सहकारिता पदाधिकारी, सीतामढ़ी एवं सहायक निबंधक, स.स., सीतामढ़ी का अतिरिक्त प्रभार तत्काल प्रभाव से दिया जाता है।

2. श्री सौरभ कुमार, प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0, सिवान को अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला सहकारिता पदाधिकारी, सिवान का अतिरिक्त प्रभार तत्काल प्रभाव से दिया जाता है।

3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
स्मृति कुमारी, विशेष कार्य पदाधिकारी।

20 मई 2025

सं0 01/रा.स्था. (नियुक्ति)-161/2024सह.-2389—बिहार लोक सेवा आयोग की 69वीं सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ/समकक्ष के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा के उपरांत विभागीय आदेश ज्ञापांक-330, दिनांक-21.01.2025 द्वारा श्री नीतीश पाठक, (आयोग की मेधा क्रमांक-13) की नियुक्ति सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ/समकक्ष के पद पर किये जाने हेतु दस्तावेजों के सत्यापन हेतु दिनांक-22.01.2025 एवं दिनांक-23.01.2025 को सम्मिलित होने का निदेश दिया गया था।

श्री नीतीश पाठक द्वारा निर्धारित तिथि को दस्तावेजों के सत्यापन हेतु उपस्थित न होते हुए दूरभाष पर पूर्व सेवा में प्रशिक्षणरत होने के कारणवश उपस्थित नहीं होने के आधार पर पुनः 01 (एक) अवसर प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया, परन्तु इस संबंध में कोई अभ्यावेदन विभाग को समर्पित नहीं किया गया। विभागीय पत्रांक-428, दिनांक-28.01.2025 द्वारा पुनः दस्तावेज सत्यापन एवं अनिवार्य प्रवेशकालीन प्रशिक्षण में भाग लेने का निदेश दिया गया, जिसके आलोक में श्री

नीतीश पाठक द्वारा पूर्व सेवा के प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षणरत होने के कारण असमर्थता व्यक्त की गयी है। पुनः विभागीय आदेश सं०-1903, दिनांक-17.04.2025 द्वारा श्री नीतीश पाठक को 01 (एक) अंतिम अवसर प्रदान करते हुए दिनांक-30.04.2025 तक दस्तावेजों के सत्यापन हेतु विभाग में उपस्थित होने का निदेश इस शर्त के साथ प्रदान किया गया कि उक्त तिथि तक उपस्थित नहीं होने पर उनकी अभ्यर्थिता रद्द करने संबंधी कार्यवाई की जायेगी। किन्तु श्री नीतीश पाठक उक्त तिथि तक भी अनुपस्थित रहें।

अतः श्री नीतीश पाठक (आयोग की मेधा क्रमांक-13) की सहकारिता विभाग के अधीन, सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ/समकक्ष के पद पर नियुक्ति की अनुशंसा को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है।

इस प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
स्मृति कुमारी, उप सचिव।

28 मई 2025

सं० 01/रा०स्था०(स्था०/पद०)-01/2025 सह०/2567—श्री श्यामानन्द ठाकुर, सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, हाजीपुर (अतिरिक्त प्रभार—जिला सहकारिता पदाधिकारी, वैशाली, हाजीपुर) के चिकित्सीय अवकाश से लौटने तक उक्त पदों का अतिरिक्त प्रभार निम्नरूपेण दिया जाता है :-

क्र.सं.	पदाधिकारी का नाम/गृहजिला	पदनाम	वर्तमान पदस्थापन पद/स्थान	अतिरिक्त प्रभार
1	2	3	4	5
1	श्री अमृताश ओझा,	सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ।	प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., वैशाली (हाजीपुर)	सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, हाजीपुर एवं जिला सहकारिता पदाधिकारी, वैशाली (हाजीपुर)।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मो० अब्दुल रब खॉ, उप सचिव।

8 मई 2025

सं० 01/रा०स्था०(स्था०/पद०)-80/2024सह०/2199—श्रीमती स्वप्निल, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, सिवान (अतिरिक्त प्रभार—जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, सारण, छपरा) के असाधारण अवकाश (अवैतनिक) अवधि (दिनांक-11.04.2025 से दिनांक-15.04.2026 तक) में उक्त पदों का अतिरिक्त प्रभार निम्नरूपेण दिया जाता है :-

क्र.सं.	पदाधिकारी का नाम/गृह जिला	पदनाम	वर्तमान पदस्थापन पद/स्थान	अतिरिक्त प्रभार
1	2	3	4	5
1	श्री आनन्द मोहन, नवादा	उप मुख्य अंकेक्षक, सहयोग समितियाँ,	उप मुख्य अंकेक्षक, सहयोग समितियाँ, सारण प्रमंडल, छपरा (अतिरिक्त प्रभार—उप मुख्य अंकेक्षक, स०स०, भूमि विकास बैंक, पटना।)	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, सारण, छपरा
2	सुश्री राखी कुमारी, शेखपुरा	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ,	अनुमंडल अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, सिवान।	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, सिवान।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
स्मृति कुमारी, उप सचिव।

20 मई 2025

सं० 01/रा. स्था. (नियुक्ति)-161/2024 सह०-2390—बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 69वीं सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बिहार सहकारिता प्रशासनिक सेवा संवर्ग, वर्ग-2 (समूह-‘ख’) में नियुक्ति हेतु अनुशंसित निम्नलिखित अभ्यर्थी को अधोलिखित शर्तों के अधीन पे मैट्रिक्स लेवल-9 (रू० 53100-167800) में (राज्य सरकार द्वारा

समय-समय पर स्वीकृत अनुमान्य भत्तों के साथ) औपबंधिक रूप से परीक्ष्यमान सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ/समकक्ष के पद पर नियुक्त करते हुए उनके नाम के समक्ष कॉलम-08 में अंकित पद/स्थान पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है :-

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम	रौल नं०	जन्मतिथि	गृह जिला	मेधा क्रमांक	आयोग द्वारा आवंटित आरक्षण रोस्टर	पदस्थापित पद/स्थान
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	श्री तुषार	148747	10.03.1996	कुशीनगर (उ.प्र.)	26	01	सहायक निबंधक, स०स०, कार्यालय, जिला सहकारिता पदाधिकारी, समस्तीपुर।

- चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त होने की प्रत्याशा में अगले छः (06) माह के लिए उपर्युक्त नियुक्ति औपबंधिक रूप से की जाती है।
- अभ्यर्थी द्वारा समर्पित शैक्षणिक प्रमाण-पत्र एवं अन्य प्रमाण-पत्रों के संबंधित बोर्ड/ संस्था से सत्यापन तथा चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन में यदि कोई प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होता है, तब इन नवनियुक्त पदाधिकारी की सेवा तात्कालिक प्रभाव से रद्द कर दी जायेगी एवं उनके विरुद्ध आवश्यक विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।
- नवनियुक्त पदाधिकारी की परीक्ष्यमान अवधि 01 वर्षों की होगी तथा उनकी आपसी वरीयता बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित संयुक्त मेधा क्रमांक के अनुसार होगी।
- अभ्यर्थी को उनके अभिप्रमाणित फोटोयुक्त नियुक्ति संबंधी निर्गत अधिसूचना की प्रति उपलब्ध कराया जायेगा। जिसे मूल रूप में जिला सहकारिता पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर ही उनका योगदान स्वीकृत किया जा सकेगा।
- अभ्यर्थी को निदेश दिया जाता है कि अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से आगामी 15 दिनों के अंदर वे अपना प्रभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित अवधि में प्रभार ग्रहण नहीं करने अथवा प्रभार ग्रहण की अवधि के विस्तार हेतु आवेदन नहीं करने की स्थिति में उनकी नियुक्ति रद्द करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।
- अभ्यर्थी सामान्य प्रशासन विभाग (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) द्वारा निर्गत संकल्प सं०-1991, दिनांक-18.01.1976 के अनुपालन में दहेज न लेने/न देने संबंधी घोषणा पत्र योगदान/प्रभार ग्रहण करते समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे।
- औपबंधिक रूप से नियुक्त पदाधिकारी अपने नियंत्री पदाधिकारी के पर्यवेक्षण में कार्यालय के कार्यों का निष्पादन करेंगे।
- वित्त विभाग के संकल्प सं०-1964 दिनांक 31.08.2005 एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत संकल्प/परिपत्रों आदि के आलोक में इनकी नियुक्ति नयी अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत आच्छादित होगी।
- योगदान/प्रभार ग्रहण करने हेतु नवनियुक्त पदाधिकारी को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
स्मृति कुमारी, उप सचिव।

1 अप्रैल 2025

सं० 01/रा०स्था० निजी-16/2023सह०-1630—श्रीमती स्वप्निल, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, सिवान को IIM Ahmedabad के PGPM (Executive MBA) पाठ्यक्रम में नामांकन एवं अध्ययन हेतु उनके अनुरोध के आलोक में बिहार सेवा संहिता के नियम 236 में निहित प्रावधानानुसार दिनांक-11.04.2025 से दिनांक-15.04.2026 तक कुल 370 (तीन सौ सत्तर) दिनों का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
स्मृति कुमारी, उप सचिव।

21 जनवरी 2025

सं001/रांस्था० (स्था०/पद०)—80/2024 सह०—331—बिहार सहकारिता अंकेक्षण सेवा सवर्ग के स्तम्भ—02 में अंकित निम्नांकित पदाधिकारियों को स्तम्भ—05 में अंकित पद पर पदस्थापित करते हुए स्तम्भ—06 में अंकित पद का अतिरिक्त प्रभार तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक दिया जाता है :-

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम/गृह जिला	पदनाम/ उच्चतर प्रभार	वर्तमान पदस्थापन कार्यालय	नवपदस्थापन पद/स्थान	अतिरिक्त प्रभार
1	2	3	4	5	6
1	श्री विद्यासागर राम, पूर्वी चम्पारण	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स०स०	कार्यालय जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स०स०, मधेपुरा	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स०स०, पूर्णियाँ	—
2	श्री विनोद कुमार, रोहतास (सासाराम)	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स०स०	कार्यालय जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स०स०, भोजपुर, आरा	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स०स०, औरंगाबाद	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स०स०, अरवल
3	श्री नन्दकिशोर, गया	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स०स०	कार्यालय संयुक्त निबंधक (अंके०), स०स०, पटना प्रमंडल, पटना	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स०स०, दरभंगा	—
4	श्री कैलाश चौधरी, नालन्दा	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स०स०	कार्यालय जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स०स०, लखीसराय	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स०स०, मुंगेर	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स०स०, खगड़िया
5	श्री पवन कुमार भारती, पटना	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स०स०	कार्यालय जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स०स०, सीतामढ़ी	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स०स०, पश्चिमी चम्पारण, बेतिया	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स०स०, गोपालगंज
6	श्री केदार चौधरी, नवादा	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स०स०	कार्यालय जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स०स०, समस्तीपुर	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स०स०, भागलपुर	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स०स०, बाँका

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
स्मृति कुमारी, उप सचिव।

15 मई 2025

सं० 01/रांस्था० (निजी)—69/2022 सह०—2319—बिहार सहकारिता प्रशासनिक सेवा सवर्ग के निम्न पदाधिकारी को मूल कोटि पद सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ/समकक्ष के स्थायी पद पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ—5 में अंकित तिथि से सेवा संपुष्ट किया जाता है :-

क्र०सं०	पदाधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापन	प्रथम नियुक्ति की तिथि	सेवा सम्पुष्टि की तिथि
1	2	3	4	5
1	श्री आनन्द कुमार चौधरी	प्रबंध निदेशक, दी नालन्दा सेन्ट्रल को—ऑपरेटिव बैंक लि०, बिहारशरीफ	13.01.2014	15.05.2018

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
स्मृति कुमारी, उप सचिव।

8 जनवरी 2026

सं० 01/रा.स्था. (स्था./पद.)-43/2025 सह.-178—श्री संजीव कुमार सिंह, जिला सहकारिता पदाधिकारी—सह—सहायक निबंधक, स.स., शिवहर को अपने कार्यों के अतिरिक्त प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., सीतामढ़ी का अतिरिक्त प्रभार तत्काल प्रभाव से दिया जाता है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
स्मृति कुमारी, उप सचिव।

उद्योग विभाग

अधिसूचनाएं

5 दिसम्बर 2025

सं० 3(स०)/उ०स्था०(विविध सेवा संपुष्टि)40/17-5414—बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के विज्ञापन संख्या—02/2020 द्वारा अनुशंसित एवं नियुक्त बिहार उद्योग सेवा के निम्नांकित नवनियुक्त पदाधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख कॉलम—5 में अंकित तिथि से परियोजना प्रबंधक एवं समकक्ष पद पर सेवा संपुष्टि की जाती है :-

क्र०	पदाधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापन	योगदान की तिथि	सेवा संपुष्टि की तिथि
1	2	3	4	5
1.	सुश्री/श्रीमती परिधि विदिशा	जिला उद्योग केन्द्र, खगड़िया	21.08.2023	21.08.2024
2.	श्री रोहित राज	जिला उद्योग केन्द्र, पश्चिम चम्पारण	21.08.2023	21.08.2024
3.	सुश्री/श्रीमती सोनाली शीतल	जिला उद्योग केन्द्र, कटिहार	21.08.2023	21.08.2024
4.	श्री अमित विक्रम भारद्वाज	जिला उद्योग केन्द्र, नवादा	21.08.2023	21.08.2024
5.	श्री प्रणय कश्यप	उद्योग मित्र, पटना	21.08.2023	21.08.2024
6.	श्री सुजात	जिला उद्योग केन्द्र, शेखपुरा	21.08.2023	21.08.2024
7.	श्री भावेश कुमार तिवारी	जिला उद्योग केन्द्र, वैशाली	27.09.2023	27.09.2024

2. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
राधाकृष्ण चौहान, उप सचिव।

14 जनवरी 2026

सं० 3(स०)/उ०स्था०(स्थानांतरण/पदस्थापन)03/2023-192—श्रीमती नीता वर्मा, परियोजना प्रबंधक—सह—प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, पटना के दिनांक 31.12.2025 को सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप श्री अंकित कुमार, परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, पटना को प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, पटना का प्रभार दिया जाता है।

(2) प्रस्ताव में समक्ष प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

(3) यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
राधाकृष्ण चौहान, उप सचिव।

14 जनवरी 2026

सं० 06(स०) विविध (रसायन निगम)—22/2019-197—श्री कुन्दन कुमार, भा०प्र०से०, सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को राज्य वित्तीय निगम अधिनियम 1951 की धारा 10(a) एवं 15(1) के तहत बिहार राज्य वित्तीय निगम, पटना के निदेशक पर्वद में निदेशक के रूप में नियुक्त करते हुए निदेशक मंडल का अध्यक्ष मनोनीत किया जाता है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
देवेश नारायण ठाकुर, उप सचिव।

14 जनवरी 2026

सं० 06(स०) विविध (रसायन निगम)—22/2019-198—श्री कुन्दन कुमार, भा०प्र०से०, सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम लि०, पटना, के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के सुसंगत धाराओं के प्रावधान के तहत निदेशक पर्वद में निदेशक के रूप में नियुक्त करते हुए निदेशक मंडल का अध्यक्ष मनोनीत किया जाता है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
देवेश नारायण ठाकुर, उप सचिव।

लघु जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

26 दिसम्बर 2025

सं० प्र०-01/ल०ज०सं०/स्था०(राज०)-08/2024-9347--सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना सं०-3454 दिनांक-28.02.2024 के आलोक में लघु जल संसाधन विभाग, बिहार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन बिहार अभियंत्रण सेवा संवर्ग-2 के निम्नांकित सहायक अभियन्ताओं(याँत्रिक) का उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-04 में अंकित तिथि से सहायक अभियन्ता(याँत्रिक) के पद पर सेवा संपुष्ट की जाती है:-

क्र० सं०	नाम/पदनाम(कोटि)/गृह जिला/ जन्म तिथि	प्रथम योगदान/ प्रभार ग्रहण की तिथि	सेवा सम्पुष्टि की तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	श्री अभिषेक रंजन/ सहायक अभियन्ता(याँत्रिक)/ नालन्दा/02.12.1992	01.01.2024	01.01.2025	
2.	श्री विवेक कुमार/ सहायक अभियन्ता(याँत्रिक)/ नवादा/05.10.1993	30.12.2023	30.12.2024	

2. भविष्य में सेवा संपुष्टि संबंधी अधिसूचना में त्रुटि/पार्थक्य पाये जाने पर तदनुसार अधिसूचना को रद्द/संशोधित किया जा सकेगा ।

3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुशांत कुमार, अपर सचिव

युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग
बिहार कौशल विकास मिशन

प्रभार प्रतिवेदन

24 दिसम्बर 2025

सं० 2814—अधोहस्ताक्षरी मैं कौशल किशोर, भा०प०से० मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार के अधिसूचना संख्या-1569, दिनांक-10.12.2025 के आलोक में युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार के गठन तथा उसके अधीन आवंटित कार्य एवं अधिसूचना संख्या-1/पी०-1012/2025-सा०प०-23116, दिनांक-11.12.2025 के आलोक में सचिव, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार के पद पर पदस्थापन के उपरान्त दिनांक-24.12.2025 के पूर्वाह्न में मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार कौशल विकास मिशन, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार, पटना का प्रभार ग्रहण करता हूँ।

(कौशल किशोर)
भारग्राही पदाधिकारी

आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट, मिशन निदेशक
बिहार कौशल विकास मिशन।

गन्ना उद्योग विभाग

अधिसूचना

14 जनवरी 2026

सं० 01/स्था०राज०-277/2023-81—सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-19300, दिनांक-13.10.2023 में निहित अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के तहत बिहार ईख सेवा के निम्न पदाधिकारी को सहायक ईखायुक्त में, उसके विहित वेतनमान (वेतन स्तर-11) सहित, अस्थायी कार्यकारी प्रभार दिया जाता है :-

क्र०	पदाधिकारी का नाम/ गृहजिला	मूल कोटि की वरीयता क्रमांक (सिविल लिस्ट, 2023 के अनुसार)	वर्तमान कोटि
1	श्री वेदव्रत कुमार/पटना	2	ईख पदाधिकारी
2	श्री रेमन्त झा/मधुबनी	3	ईख पदाधिकारी

2. यह अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-19300 दिनांक-13.10.2023 में निहित शर्तों के अधीन है।

3. उपर्युक्त पदाधिकारी द्वारा वर्तमान में धारित पद को अगले आदेश तक सहायक ईखायुक्त के विहित वेतनमान-(वेतन स्तर-11) में उत्क्रमित किया जाता है।

4. उपर्युक्त पदाधिकारी को पदभार ग्रहण करने की तिथि से सहायक ईखायुक्त (वेतन स्तर-11) के पद पर अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ देय होगा।

5. उपर्युक्त प्रस्ताव में सरकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अरुण कुमार, अवर सचिव।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

अधिसूचना

6 जनवरी 2026

सं० 1/टी०-2-104/2025-07—लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना सं०-651-सह-पठित ज्ञापांक-652, दिनांक-09.09.2025 द्वारा नवनीयुक्त 04 सहायक अभियंता (यांत्रिक) वेतन लेवल-09 (वेतनमान-₹53,100- ₹1,67,800/-) को लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार के नियंत्रणाधीन बिहार अभियंत्रण सेवा के अंतर्गत उनके नाम के सम्मुख स्तंभ-7 में अंकित रिक्त पदों पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है :-

क्र० सं०	अनुक्रमांक/ समेकित मेधा क्रमांक	नाम एवं गृह जिला	जन्म तिथि	मूल कोटि/ चयनित कोटि	स्थायी पता	पदस्थापन स्थान
1	2	3	4	5	6	7
1	200300/ 01	पवन कुमार शर्मा /सीवान	12.10.1996	अ०पि०व०/ अनारक्षित	श्री पवन कुमार शर्मा, पिता-अशोक शर्मा, ग्राम+पो०-मड़कन, थाना-हुसैनगंज, जिला-सीवान, पिन-841226	सहायक अभियंता (यांत्रिक), लोक स्वास्थ्य यांत्रिक अवर प्रमंडल, दरभंगा
2	200420/ 05	मोनी कुमारी /बांका	07.12.1995	पि०व०/ अनारक्षित	सुश्री मोनी कुमारी, पिता-श्री विजय दर्वे, ग्राम-रतनपुर, पो०-मकदूमा, थाना-अमरपुर, जिला-बांका, पिन-813102	सहायक अभियंता (यांत्रिक), लोक स्वास्थ्य यांत्रिक अवर प्रमंडल, पूर्णिया
3	201083/ 02	रमित कुमार /भागलपुर	15.01.1994	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	श्री रमित कुमार, पिता-श्री मित्रनाथ मिश्र, ग्राम+पो०-भ्रमरपुर, थाना-भवानीपुर, जिला-भागलपुर, पिन-853201	प्राक्कलक पदाधिकारी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिक प्रमंडल, पटना

4	200325/ 146	सरोज कुमार /रोहतास	10.03.1997	अ0जा0/ अ0जा0	श्री सरोज कुमार, पिता—श्री अशोक कुमार चौधरी, ग्राम—मझिआव, पो0+थाना—दरिहट, जिला—रोहतास, पिन—821306	सहायक अभियंता (यांत्रिक), लोक स्वास्थ्य यांत्रिक अवर प्रमंडल, सीवान
---	----------------	-----------------------	------------	-----------------	---	---

2. पदस्थापन के उपरान्त नव नियुक्त सहायक अभियंता (यांत्रिक) संबंधित पदस्थापन कार्यालय में अविलम्ब प्रभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।

3. प्रशिक्षण संस्थान में योगदान की तिथि से ही इन्हें वेतनादि एवं अन्य वित्तीय लाभ का भुगतान संबंधित प्राधिकार द्वारा किया जायेगा।

4. ऐसे सहायक अभियंता (यांत्रिक) जो पूर्व में किसी राज्य सरकार/भारत सरकार/सरकारी उपक्रमों में कार्यरत रहें हैं, उन्हें विधिवत् रूप से विरमित/त्याग-पत्र स्वीकृत होने संबंधी प्रमाण-पत्र समर्पित करने के पश्चात् ही योगदान/प्रभार स्वीकार किया जायेगा।

5. यह पदस्थापन माननीय न्यायालय के समक्ष इस संदर्भ में किसी भी विचाराधीन वाद में पारित आदेश के फलाफल से प्रभावित होगी।

6. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
अरविन्द कुमार, अपर सचिव।

Office of The Commissioner, Magadh Division, Gaya Ji

Office Order

The 17th December 2025

No. XI-K-रा0-01/2024-202—In the light of proposal received from District Magistrate, Aurangabad vide letter no.-1024, dated- 05.12.2025 the power of certificate officer has been delegated to following officers for disposal of certificate cases u/s 3(3) of Bihar & Orrisa Public Demand Recovery Act. 1914.

Sl. No.	Officers Name	Designation	Remarks
01	Sri Sonu Kumar	Deputy Director(Agricultural Engineering), District Engineering Office, Aurangabad	District Level
02	Sri Niranjan Kumar	Assistant Director, Minority Welfare, Aurangabad	District Level
03	Sri Ashok Prasad	Subdivisional Executive Magistrate, Aurangabad	Subdivisional Level
04	Sri Sanjay Kumar	CO, Goh	Circile Level
05	Sri Niraj Kumar	BDO, Barun	Block Level

Order of Commissioner, Magadh Division, Gaya Ji dt 13.12.2025

By Order,

Sd./Illegible, Secretary to Commissioner,
Magadh Division, Gaya Ji.

Office of The Commissioner, Magadh Division, Gaya Ji

Office Order

The 17th December 2025

No. XI-K-रा०-05/2024-203—In the light of proposal received from District Magistrate, Nawada vide letter no.-786, dated- 09.12.2025 the power of certificate officer has been delegated to following officers for disposal of certificate cases u/s 3(3) of Bihar &Orissa Public Demand Recovery Act. 1914.

Sl. No.	Officers Name	Designation	Remarks
01	Sri Anand Kumar Gupta	ADLAO, Nawada	District Level
02	Sri Amit Kumar Ranjan	ADLAO, Nawada	District Level
03	Sri Vinay Kumar	District Planning Officer, Nawada	District Level
04	Sri Ajeet Prakash	District Agriculture Officer, Nawada	District Level
05	Md. Faizan Ahmad	BDO, Roh	Block Level
06	Sri Ashwani Kumar	BDO, Meskaur	Block Level
07	Sri Amit Kumar	BDO, Warisliganj	Block Level
08	Smt Monika Sinha	BPRO, NawadaSadar	Block Level
09	Sri Amarjeet Kumar	BPRO, Pakaribarawan	Block Level

Order of Commissioner, Magadh Division, Gaya Ji dt 13.12.2025

By Order,

Sd./Illegible, Secretary to Commissioner,
Magadh Division, Gaya Ji.

Office of The Commissioner, Magadh Division, Gaya Ji

Office Order

The 7th January 2026

No. XI-K-रा०-02/2024-01—In the light of proposal received from District Magistrate, GayaJi vide letter no.-951, dated- 29.12.2025 the power of certificate officer has been delegated to following officers for disposal of certificate cases u/s 3(3) of Bihar &Orissa Public Demand Recovery Act. 1914.

Sl. No.	Officers Name	Designation	Remarks
01	Sri Ashok Kumar Chaudhary	DSO, Gaya Ji	District Level
02	Sri Akash	Assistant Director, Social Security Cell, Gaya Ji	District Level
03	Sri Shashikant	DMC, Gaya Ji	District Level

04	Sri Sanjeev Kumar	DAO, Gaya Ji	District Level
05	Sri Anand Kumar	DPO(Establishment), Education Department, Gaya Ji	District Level
06	Smt. Nayana	SDPGRO, Sadar Gaya Ji	Sub Divisional Level
07	Sri Prabhunath Pandey	BCO, Nagar	Circle Level
08	Sri Dharmendra Kumar Chandravanshi	BCO, Nagar	Circle Level
09	Sri Sandeep Kumar	BCO, Tikari	Circle Level
10	KaziMinaj Ahmad	BCO, Tikari	Circle Level
11	Sri Rajeev Kumar	BCO, Manpur	Circle Level
12	Sri Monu Kumar	Revenue Officer, Manpur	Circle Level
13	Sri Amit Kumar	Circle Officer, NeemchakBathani	Circle Level
14	Smt. Smita Sinha	Block Supply Officer, Manpur	Circle Level
15	Sri Rajeev Kumar Gupta	Executive Officer, Nagar Parishad, Bodhgaya	Circle Level

Order of Commissioner, Magadh Division, Gaya Ji dt 05.01.2026

By Order,

Sd./Illegible, Secretary to Commissioner,
Magadh Division, Gaya Ji.

**VIGILANCE DEPARTMENT
GOVERNMENT OF BIHAR
SOOCHNA BHAWAN, 4TH FLOOR, PATNA**

ORDER

The 16th January 2026

No. Ni. Vi. /Stha (Vi.Nya.)-14/2025 –404—On the basis of the details of property of **Shri Baidyanath Rajak** furnished with the application given by the Vigilance Investigation Bureau for filing before the authorized officer of the Special Vigilance Court, there is prima facie evidence against **Shri Baidyanath Rajak the then Joint Director (Agronomy), Saran Range, Chhapra, Bihar, S/O-Late Damodar Baitha, Address- R/O- Hathsarganj, Word No-03, P.S.-Sadar Hajipur, District- Vaishali, Parmanent Address- Vill- Harauli, P.S.-Sadar Hajipur, District- Vaishali** who is named accused in SVU P.S. Case No.-**03/2017** dated **17.08.2017**, registered u/s 13(1)(e)/13(1)(b) read with section-13(2) Prevention of corruption Act 1988, for confiscation of property worth **₹1,33,76,804/- (One Crore Thirty Three Lakh Seventy**

six Thousand Eight Hundred Four Rupees Only) which is more than known source of income, under Bihar special Courts Act 2009.

2. The Public Prosecutor is hereby authorized to present an application under Section 13(1) of the Bihar Special Courts Act, 2009 before the court of the authorized officer under Section 3 of the Bihar Special Courts Act, 2009 for confiscation of the above said property of **Shri Baidyanath Rajak**.

By Order,

Arvind Kumar Chaudhary, Additional Chief Secretary.

**VIGILANCE DEPARTMENT
BIHAR, PATNA
FORM No. I**

DECLARATION

(Under Section 5 of the Bihar Special Courts Act 2009, and Rules 7 of Bihar Special Courts Rules 2010)

The 16th January 2026

No. Ni. Vi. /Stha (Vi.Nya.)-14/2025-405—WHEREAS, It was alleged that **Shri Baidyanath Rajak, S/O-Late Damodar Baitha, Address- R/O- Hathsarganj, Word No-03, P.S.-Sadar Hajipur, District- Vaishali, Parmanent Address- Vill-Harauli,P.S.-Sadar Hajipur, District- Vaishali** while holding the then **Joint Director (Agronomy),Saran Range, Chhapra, Bihar** in the State of Bihar, committed an offence under clause (e) of sub-section (1) of Section 13 of the Prevention of Corruption Act, 1988 or clause (b) of sub-section (1) of section 13 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (Amended Act, 2018) and that the matter was investigated in SVU P.S. Case No.-**03/2017 dated 17.08.2017** of,

AND WHEREAS, on scrutiny of relevant materials available on record, the State Government is of the opinion that there is prima facie case of Commission of the **Shri Baidyanath Rajak** who has accumulated properties disproportionate to his known sources of income by resorting to corrupt means;

AND WHEREAS, it is felt necessary and expedient by the Government that the said offender should be tried by the Special Court Established under sub-section (1) of Section 3 of Special Courts Act, 2009/Bihar Special Courts (Amendment) Act, 2022;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of Special Courts Act, 2009/Bihar Special Courts (Amendment) Act, 2022, the State Government do hereby declare that the said offence shall be dealt with under the Special Courts Act, 2009/Bihar Special Courts (Amendment) Act, 2022.

By the order of the Governor of Bihar,
Sd/-Illegible, Additional Chief Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट, 44—571+10-डी0टी0पी0।

Website: <https://egazette.bihar.gov.in>

भाग-2

बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।

विधि विभाग

शुद्धि पत्र

10 दिसम्बर 2025

सं० ए०/नोट-64/2025/8312/जे०--विधि विभागीय अधिसूचना सं०-5883, दिनांक-12.09.2025 के द्वारा श्रीमती श्वेता कुमारी साहा, अधिवक्ता, भागलपुर की नोटरी नियुक्ति से संबंधित अधिसूचना निर्गत है। उक्त अधिसूचना (अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित) में अंकित “नामांकन सं०-Enrolment No-805/2004” को “नामांकन सं०-Enrolment No-805/2014” पढ़ा जाए।

2. उक्त विभागीय अधिसूचना को इस हद तक संशोधित किया जाता है। शेष बातें यथावत् रहेगी।

आदेश से,

नितीश कुमार

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

सहकारिता विभाग

शुद्धि पत्र

3 अप्रैल 2025

सं० 01/रा.स्था.(स्वै. सेवा.)-97/2024 सह-1658--विभागीय अधिसूचना सं०-3575 दिनांक-25.10.2024 द्वारा श्री सैयद सरवर हुसैन, अपर निबंधक (न्यायिक), स०स०, बिहार, पटना को उनके आवेदन के आलोक में दिनांक-31.10.2024 के प्रभाव से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की स्वीकृति प्रदान की गयी है जिसे दिनांक-31.10.2024 के अपराह्न के प्रभाव से पढ़ा एवं समझा जाय।

2. अधिसूचना के शेष बिन्दु यथावत रहेंगे।

आदेश से,

स्मृति कुमारी, उप सचिव।

शुद्धि पत्र

8 मई 2025

सं० 01/रा.स्था० (निजी)-44/2024 सह-2187--विभागीय अधिसूचना सं०-1770 दिनांक-08.04.2025 में अंकित पदाधिकारी का नाम “श्रीमती पूनम कुमारी” के स्थान पर “सुश्री पूनम कुमारी” पढ़ा एवं समझा जाय।

2. उक्त अधिसूचना की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

स्मृति कुमारी, उप सचिव।

लघु जल संसाधन विभाग

शुद्धि-पत्र

13 जनवरी 2026

सं० प्र०-०१/ल०ज०सं०/स्था०(राज०)-०९/२०२५-२४९--विभागीय अधिसूचना सं०-८६८८ दिनांक-०३.१२.२०२५ द्वारा नवनियुक्त सहायक अभियन्ताओं का पदस्थापन किया गया है। उक्त अधिसूचना की कंडिका-१ के क्र०सं०-३ के स्तम्भ-३ में अंकित श्री सूर्य प्रकाश मिश्रा का जन्म तिथि-२५.१०.१९९५ के स्थान पर **२८.१०.१९९५** पढ़ा जाय।

२. विभागीय अधिसूचना सं०-८६८८ दिनांक-०३.१२.२०२५ की शेष प्रविष्टियाँ यथावत् रहेगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुशांत कुमार, अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट, ४४—५७१+१०-डी०टी०पी०।

Website: <https://egazette.bihar.gov.in>

भाग-9-ख

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।

सूचना

No. 43— I, Lily Rabi Das, W/o- Sushil Kumar, R/o - House no.- 1390/1188, Near South of M.I.G 158 qwatar, hanuman nagar, Distt.- Patna Bihar - 800020. Do hereby solemnly affirm and declare that in my daughter's (Anupriya) educational documents my name is mentioned as Lily Devi instead of Lily Rabi Das. But, in my Aadhar card my name is mentioned as Lily Rabi Das. Here, both the names belong to the names of the same person i.e me. And, from now in my future I will be known as LILY RABI DAS for all my legal purposes. Affidavit no.- 2608 Date: - 29/11/2025.

Lily Rabi Das.

सं० 44—आभा कुमारी पिता—श्री परमेश्वर झा, पति—श्री अजय कुमार झा, E-8 मजिस्ट्रेट कॉलोनी, थाना—राजीवनगर, जिला—पटना आभा कुमारी एवं आभा झा दोनों एक ही महिला का नाम है। जो मैं स्वयं हूँ। अब मैं भविष्य में सभी कार्य हेतु आभा झा के नाम से जानी एवं पहचानी जाऊंगी। शपथ पत्र सं०—4478, दिनांक 03 सितम्बर 2025.

आभा कुमारी।

No. 44—Abha Kumari, D/o Sri Permeshwar Jha, W/o Sri Ajay Kumar Jha, E/8 Magistrate Colony, PS-Rajiv Nagar, District- Patna, Abha Kumari & Abha Jha both are same person. From now I shall be known as Abha Jha for all purposes. Aff.No-4478 dt, 03.09-2025.

Abha Kumari.

No. 45—I, Soni Devi, W/o Saryug Sah, R/o 'Batan ward No.-15, Finglas Raghapur, Supaul, Bihar-852111 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No.-1948 dt. 15.10.25 that my name is written in my Aadhar card as Soni Devi whereas in educational documents written as Kumari Soni. Above both names are same and one person. From now I shall be known as Kumari Soni for all purposes.

Soni Devi.

No. 55—I, Kumari Sonal D/o Santosh Kumar Sinha W/o Sujit Kumar Sagar R/o At Present officer's Enclave Gardanibagh Ward No-34, P.O.-Anisabad Bihar-800002, Permant R/o House No.-647 New Area 2nd Lane Near Onki Talab, P.S.-Hazaribagh Sadar, Distt.-Hazaribagh Jharkhand-80530 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No.-2206 dt. 22.12.25 that my name is written in my Passport as Sonal Sinha. In Voter Id and Aadhar card my name is written as Kumari Sonal. Both names are same and one person. From now I shall be known as Kumari Sonal for all purposes.

Kumari Sonal.

सं0 56—मैं, दुबे अंजली रविशंकर, पिता श्री रविशंकर दुबे, निवासी शिव आश्रम, रघुनाथ टोला, अनीसाबाद, पटना-2, ने विवाह उपरान्त अपना नाम अंजली प्रकाश पाठक में परिवर्तित कर लिया है। यह नाम परिवर्तन शपथ पत्र संख्या 8082 दिनांक 23.08.2025 के माध्यम से किया गया है, जो कार्यपालक दंडाधिकारी, पटना सदर के समक्ष शपथपूर्वक सत्यापित है। अब से मुझे सभी कार्य हेतु इसी नाम से जाना और पहचाना जाएगा।

दुबे अंजली रविशंकर।

सं0 68—मैं मीरा, पति—संजय कुमार साह, साकिन—रामपुर, वार्ड नं0 03, थाना—गोगरी, जिला—खगड़िया, राज्य—बिहार, निष्ठा पूर्वक निम्न ब्यान करती हूँ कि मेरे सभी प्रमाण—पत्रों में मेरा नाम मीरा है एवं आधार कार्ड में मीरा देवी अंकित है। मीरा एवं मीरा देवी दोनों नाम एक ही महिला का है। जो मैं स्वयं हूँ और भविष्य में अब मैं मीरा के नाम से सभी कार्य हेतु जानी एवं पहचानी जाऊँगी। शपथ—पत्र संख्या 5958 दिनांक 30/12/2025.

मीरा।

No. 69—I, Usha Kumari Giri @ Usha Giri, D/o Muktinath Bharti, R/o-P.O-Manikpur, P.S.-Town Thana Gopalganj, District-Gopalganj, Bihar, Pincode-841428. In my educational documents my name is mentioned as Usha Kumari Giri. But, in my Aadhar my name is mentioned as Usha Giri. Here, both the names belong to the names of the same person i.e. me. And, from now in my future I will be known as USHA KUMARI Giri for all my legal purposes. Affidavit No.-1194, Date:-12.12.2025.

Usha Kumari Giri @ Usha Giri.

No. 70—I, Shayan Alim S/o Md. Alimuddin R/o Near Palm Gården, New Karimganj, Gaya-823001, Bihar do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No.-1686 dt. 26.09.2025 that my name is written in my Aadhar Card as Md Shayan Alim. In educational documents written as Shayan Alim. Both names are same and one person. From now I will be knoww as Shayan Alim for all purposes.

Shayan Alim.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 44—571+10-डी0टी0पी0।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>

बिहार गजट

का

पूरक(अ0)

प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

सं० कौन/भी-132/2023—15/सी
वाणिज्य—कर विभाग

संकल्प

15 जनवरी 2026

श्री विभांशु कौशल चौधरी, राज्य कर सहायक आयुक्त, खगड़िया अंचल, खगड़िया द्वारा दिनांक—16.09.2023 को समीक्षात्मक बैठक में बिना जानकारी दिये अनुपस्थित रहने एवं अंकेक्षण हेतु वित्तीय वर्ष 2018—19 के लिये चयनित अभिलेखों में से आवंटित अभिलेखों को निष्पादन ससमय नहीं किये जाने के कारण स्पष्टीकरण की माँग की गयी। श्री चौधरी से प्राप्त स्पष्टीकरण के सम्यक् समीक्षोपरांत उनसे असहमत होते हुए सक्षम प्राधिकार द्वारा 'चेतावनी' संसूचित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

उक्त लिये गये निर्णय के आलोक में श्री विभांशु कौशल चौधरी, राज्य कर सहायक आयुक्त, खगड़िया अंचल, खगड़िया को "चेतावनी" संसूचित किया जाता है, जिसकी प्रवृष्टि इनके चारित्री वर्ष 2025—26 में की जायेगी प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
विजय कुमार, उप सचिव।

सं० 3(स०)/उ०स्था०(आरोप) 07/2023—5709

उद्योग विभाग

संकल्प

23 दिसम्बर 2025

श्री विजेन्द्र कुमार लाल, तत्कालीन परियोजना प्रबंधक सह प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, सीतामढ़ी सम्प्रति निलम्बित मुख्यालय—उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना के विरुद्ध मुख्यमंत्री उद्यमी योजनान्तर्गत जिला के लाभुकों के परियोजना स्थल का निरीक्षण के क्रम में कुल 30 स्थल निरीक्षणों में से 19 स्थल निरीक्षण में अनियमितता पायी गयी। कई लाभुकों को उनके उपयोगिता का समुचित जाँच एवं स्थल निरीक्षण किये बगैर ही अगली किश्त की राशि की स्वीकृति प्रदान की गयी तथा कतिपय ईकाईयों का स्थल जांच प्रतिवेदन भी समुचित रूप संचिका में संधारित नहीं किया गया।

उक्त आरोप के लिए विभागीय अधिसूचना संख्या—5089, दिनांक—03.08.2023 द्वारा श्री लाल को निलम्बित किया गया तथा विभागीय संकल्प सं०—6591 दिनांक—16.11.2023 द्वारा विभागीय कार्रवाई संचालित की गयी।

चूंकि श्री लाल दिनांक—31.12.2025 को वार्धक्य सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

अतः श्री विजेन्द्र कुमार लाल, तत्कालीन परियोजना प्रबंधक सह प्रभारी महाप्रबंधक सम्प्रति निलम्बित, जिला उद्योग केन्द्र, सीतामढ़ी, मुख्यालय—उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना को आदेश निर्गत की तिथि से निलम्बन मुक्त किया जाता है।

संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रस्तुत जाँच प्रतिवेदन पर अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री लाल के 10(दस) प्रतिशत पेंशन 05(पाँच) वर्षों तक के लिये कटौती का निर्णय लिया गया जो बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा प्राप्त परामर्श के फलाफल से प्रभावित होगा।

आदेश—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
राधा कृष्ण चौहान, उप सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 44—571+10-डी0टी0पी0।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>